

पहली FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2012-2013

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2012

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2012-13.

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 60 अनुदान और 2 विनियोग शामिल हैं। ₹ 32,119.50 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 30,804.13 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 1314.43 करोड़ है। इसके अलावा, 94 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है, जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं:

INTRODUCTORY NOTE

First Batch of Supplementary Demands for **Subject:** Grants, 2012-2013.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2012-2013 includes 60 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹32,119.50 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 30,804.13 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/ Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1314.43 crore. Besides, token provision of ₹ 94 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

28,500.00 28,500.00

		(क	रोड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय 9. नागर विमानन मंत्रालय प्रतिवर्तन आयोजना और वित्तीय पुनर्गठन आयोजन के भाग के रुप में एयर इंडिया में इक्विटी सम्मिश्रिण हेतु।		2000.00	- :	2,000.00
गृह मंत्रालय 53 मंत्रिमंडल विशेष सुरक्षा दल संबंधी (क) अस्त्र एवं शस्त्र (20 करोड़ ₹) और (ख) मशीनरी और उपस्कर (30.13 करोड़ ₹) के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।		-	50.13	50.13
विधि एवं न्याय मंत्रालय 64 विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय में माननीय जजों और कर्मचारियों के वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 64 Appropriation - Supreme Court of India For meeting salary expenditure for Hon'ble Judges and Officials in the Supreme Court of India.	-	9.50	9.50
खान मंत्रालय 66 खान मंत्रालय महासागरीय अनुसंधान पोत के अधिग्रहण हेतु किस्त के भुगतान के संबंध में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु।		79.46	-	79.46
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निम्नलिखत हेतु (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिर्क्र के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमान से कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति (28500 करोड़ ₹), (ख) केरोसीन के सार्वजनिक वितरण प्रणार्ल पर नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन (10 करोड़ ₹)।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (a) providing compensation (₹ 28500 crore) towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products, and (b)			

on Public Distribution System of Kerosene

(₹ 10 crore).

जनुवन संख्या और सीर्यक सथा मर्चो का सिवस्य रास्त्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और जुप पास्त्रपति का सविवालय THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT 76 विनियोग - सन्द्रपति का सरायक, परिवार और मते संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो। स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो। रास्त्राच्या प्रमुख्यान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो। स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नहो स्थापना संबधी अतिरिक्त हो स्थापना संबधी अया की पूर्ति हो स्थापना संबधी अप की स्थापना संबधी अया की स्थापना संबध					(करोड़ रुपए Rupees in Cra आयोजना आयोजना-भिन्न जो			
पुरा साहद्रवित का सचिवालय 76 विनियोग - राष्ट्रपति का स्टाफ, परिवार और मते संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मते। 77 लोक सभा	अनुद	व्यान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title an	d description of items		Non Pla		
related expenditure. 77 लोक सभा स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मले। 82 इस्पात मंत्रालय 92 इस्पात मंत्रालय 93 इस्पात मंत्रालय 93 इस्पात मंत्रालय 94 स्त्राल मंत्रालय 95 इस्पात मंत्रालय 96 स्त्राल मंत्रालय 97 Ministry of Steel 98 श्रिमात मंत्रालय 99 इस्पात मंत्रालय 90 इस्पात मंत्रालय 91 स्त्रालय 91 स्त्रालय 92 इस्पात मंत्रालय 93 स्त्रालय त्राविक्तों के निपटान हेतु सहायता अनुवान (149.45 करोड १) हेतु। 75 Ministry of Steel 96 श्रिमात मंत्रालय 97 Ministry of Steel 97 Ministry of Steel 98 श्रिमात मंत्रालय 98 श्रिमात मंत्रालय 99 श्रिमात मंत्रालय 90 श्रिमात मंत्रालय 90 श्रिमात मंत्रालय 91 स्त्रालय त्राविक्तों के पुरक अनुवाने विनियोगों के अतिरिक्त बवतों)त्रपुलियों या अनुवानी बच्चों मं से की जानी है। ये मर्च इस प्रकार हैं: 10 स्त्रालय त्राविक्तों के प्रकार मंत्रालय 10 स्त्रालय 10 कोवल मंत्रालय		उप राष्ट्रपति का सिववालय विनियोग - राष्ट्रपति का स्टाफ, परिवार और भत्ते संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भत्ते।	PUBLIC SERVIC THE SECRE VICE-PRESIDE 6 Appropriation - Allowances of the	CE COMMISSION AND TARIAT OF THE NT Staff, Household and President				
श्चरपात मंत्रालय 92 श्चरपात मंत्रालय मैसर्स विसरा रहोन ताइम कम्पनी लिमिटेड को उपस्कर वियिदों के निपटान हेतु सहायता अनुवन (149.45 करोड ₹) हेतु। 3. अनुवानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹ 1314.43 करोड के तकनीकी पूरक अनुवानों/विनियोगों के अतिरिक्त बच्तो/वस्तुतियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदे इस प्रकार हैं: किकी को अतिरिक्त बच्तो/वस्तुतियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदे इस प्रकार हैं: किकी जानी है। ये मदे इस प्रकार हैं: किकी मंत्रालय 3. पशुपालन, डेरी कार्य और माल्स्यिकी विभाग चायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। उत्पायन और उर्वरक मंत्रालय 6. रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड ₹) और (थ) हिन्दुस्तान इन्तिस्ताइङ्का लिग्देड हाल देय व्याज की माणी (2.50 करोड ₹) हेतु। अभियता मंत्रालय कोत इंडिया लिग्देड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्ति के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्ति हेतु। अभियता मंत्रालय (को भोपाल गैस हित्र भूमि होतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्ति के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्ति होतु। अभियता मंत्रालय (को अधिगृहीत भूमि होतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्त के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्ति होतु। अभियता मंत्रालय (को अधिगृहीत भूमि होतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्ति के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्ति होतु भूमि मंत्रालय (को अधिगृहीत भूमि मेत्रालय (को अधिगृहीत भूमि मेत्रालय अधिगृहीत भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्त के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्ति होतु। अभियता मंत्रालय (को अधिगृहीत भूमि मेत्रालय अधिगृहीत भूमि से बेदखल व्यक्तियों को अतिपूर्त के मृगतान संबंधी व्यय को पूर्त होतु। अभियत मंत्रालय अधिगृहीत स्वित्र से स्वायत्त स्वत्र से स्वायत्त से स्वयत्त से स्वयत्त से स्वायत्त से स्वयत्त से स्वयत्	77	लोक सभा	related expenditu 7 Lok Sabha	re.	-	0.96	0.96	
92 श्रणात मंत्रालय			related expenditu	re.	-	38.40	38.40	
3. अनुवानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹ 1314.43 करोड़ के तकमीकी पूरक अनुवानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनकी पूरि मंत्रालयों/विमागों को अतिरिक्त बचतों/वस्तुलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि जानी है। ये मद इस प्रकार हैं: तकनीकी पूरक अनुवान मांगें कि अध्यालत्व की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। उत्पावन और उर्वरक मंत्रालय कि (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ रैं) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय व्याज की माफी (2.50 करोड़ रैं) हेतु। कोयला मंत्रालय कोव इंडिया लिमिटेड की विमिन्न अनुशंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत मूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के मुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। जीपाज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारिक्ट विच्छा मंत्रालय कारिकट विच्छा मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	•	इस्पात मंत्रालय मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड को उपस्कर दायित्वों के निपटान हेतु सहायता अनुदान	2 Ministry of Steel For Grants-in-a M/s Bisra Stone L	id (₹ 149.45 crore) to ime Company Limited to	-	125.68	125.68	
करोड़ के तर्जनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी हैं। ये मदें इस प्रकार हैं: त्कनीकी पूरक अनुदान मांगें त्कनीकी पूरक अनुदान मांगें तक्कनीकी पूरक अनुदान मांगें अनुदान मांगें अविकाल अनुदान मांगें अविकाल मांग			otal Cash Outgo		2,079.46	28,724.67	30,804.13	
कृषि मंत्रालय 3 पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग च्यायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। उत्पायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। उत्पायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। उत्पायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। अINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 6. उत्पायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय व्याज की माफी (2.50 करोड़ ₹) हेतु। अगेयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। अगेपल एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 6 Ministry of Chemicals and Petrochemicals For (a) disbursal of ex-gratia (₹ 67.70 crore) to Bhopal Gas victims, and (b) waiver of interest (₹ 2.50 crore) payable by Hindustan Insecticides Limited. - औंपला मंत्रालय MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited. - 6: विणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	3.	करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में	Grants includes supplementary g ₹ 1314.43 crore additional recorresponding sa	proposals for technical rants/appropriations for which are matched by ceipts/recoveries or vings of the Ministries/				
3 पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग च्यायालय की डिक्रियों से उत्पन्न व्यय हेतु। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 6. रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय ब्याज की माफी (2.50 करोड़ ₹) हेतु। कोयला मंत्रालय को कोयला मंत्रालय को क्षित्यों को क्षिनुष्टित भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षितपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। अUNISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 6 Ministry of Chemicals and Petrochemicals For (a) disbursal of ex-gratia (₹ 67.70 crore) to Bhopal Gas victims, and (b) waiver of interest (₹ 2.50 crore) payable by Hindustan Insecticides Limited. 4 MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited. 4 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	तक	नीकी पूरक अनुदान मांगें	echnical Supplemen	tary Demands for grants				
स्तायन और उर्वरक मंत्रालय 6. रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय ब्याज की माफी (2.50 करोड़ ₹) हेतु। कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 6 Ministry of Chemicals and Petrochemicals For (a) disbursal of ex-gratia (₹ 67.70 crore) to Bhopal Gas victims, and (b) waiver of interest (₹ 2.50 crore) payable by Hindustan Insecticides Limited. - MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited. - 65 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	कृषि 3	पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	Department of Dairying and Fis	Animal Husbandry, heries	0.71	_	0.71	
6. स्सायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय 6 Ministry of Chemicals and Petrochemicals (क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय व्याज की माफी (2.50 करोड़ ₹) हेतु। कोयला मंत्रालय 10 कोयला मंत्रालय 10 कोयला मंत्रालय 10 Ministry of Coal कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षितिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	रसा	Ç	_	-			V., -	
10 Ministry of Coal कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय Ministry of Coal For meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited. - 65 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	6.	(क) भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का संवितरण (67.70 करोड़ ₹) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा देय ब्याज की माफी	Ministry of Petrochemicals For (a) disbursal of to Bhopal Gas visinterest (₹ 2.50 cm	f ex-gratia (₹ 67.70 crore) ctims, and (b) waiver of ore) payable by Hindustan	-	2.50	2.50	
INDUSTRY		कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहीत भूमि हेतु भूमि से बेदखल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की	Ministry of Coal For meeting expe of compensation acquired for varie	nditure towards payment to land oustees for land ous subsidiary companies	-	65.00	65.00	
विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा संचालित नकद For meeting expenditure arising out of court प्रतिपूरक योजना के तहत न्यायालय डिक्री से उत्पन्न decree under Cash Compensatory Scheme administered by Directorate General of	वाणि 11	वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा संचालित नकद प्रतिपूरक योजना के तहत न्यायालय डिक्री से उत्पन्न	INDUSTRY 1 Department of C For meeting experdecree under Casa administered by	ommerce inditure arising out of court in Compensatory Scheme		0.03	0.03	

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
 (क) उच्चतम न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न 0.19 करोड़ ₹ और न्यायालय के आदेशों के तहत मजदूरी के भुगतान हेतु 0.35 करोड़ ₹ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) थोट्टाकारा, पलक्कड़, केरल में डाकघर के निर्माण पर भूमि अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधीनस्थ जज (अपर) द्वारा दिए गए आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। 	 ₹ 0.19 crore arising out of Supreme Court Orders and ₹ 0.35 crore for payment of wages under court orders. (b) For meeting additional expenditure arising out of the orders given by Subordinate Judge (Additional), 	0.03	0.54	0.54
14 दूर संचार विभाग दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दंड की वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु।	14 Department of Telecommunications For payment of interest on the refund of	-	87.65	87.65
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 16 उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत प्रावधान के संवर्धन हेतु।		-	10.00	10.00
रक्षा मंत्रालय 23 रक्षा मंत्रालय सेवाएं-नौसेना न्यायालय डिक्री से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF DEFENCE 23 Defence Services-Navy For meeting expenditure arising out of court decree.	-	7.00	7.00
24 रक्षा सेवाएं - वायुसेना न्यायालय डिक्री से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	24 Defence Services - Air Force For meeting expenditure arising out of court decree.	-	3.00	3.00
विदेश मंत्रालय 31 विदेश मंत्रालय भूटान की शाही सरकार को अतिरिक्त सुविधा (400 करोड़ ₹) प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs For extending Standby Credit Facility (₹ 400 crore) to Royal Government of Bhutan.	-	365.00	365.00
वित्त मंत्रालय 32 आर्थिक कार्य विभाग निम्नलिखित हेतु (क) स्थापना संबंधी व्यय (7.15 करोड़ ₹), (ख) 14वें वित्त आयोग आदि का कार्यालय किराए पर लेने के संबंध में किराया प्रभार (4.49 करोड़ ₹), (ग) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अंशदान (4 करोड़ ₹) और (घ) यमन सरकार को ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देय राशियों की माफी (2.07 करोड़ ₹), (ङ) निम्नलिखित को अनुदान संबंधी व्यय (1) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (15 करोड़ ₹); और (2) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, इटानगर (10 करोड़ ₹), (च) भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (65 करोड़ ₹) और (छ) अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधी अविश्वन वार्य (11.65 करोड़ ₹)।	(₹ 7.15 crore), (b) rental charges (₹ 4.49 crore) in respect of hiring accommodation for 14th Finance Commission, etc (c) contribution (₹ 4 crore) to International Fund for Agricultural Development, (d) waiver of outstanding dues (₹ 2.07 crore) in respect of Line of Credit to Government of Yemen, (e) Grants related expenditure to (1) National Council for Applied Economic Research (₹ 15 crore), and (2) Rajiv Gandhi University, Department of Economics, Itanagar (₹ 10 crore), (f)			

(₹ 65 crore) to EXIM Bank of India, and

अतिरिक्त व्यय (11.65 करोड़ ₹)।

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(g) additional expenditure (₹ 11.65 crore)			
	towards Technical and Economic		110.25	110 25
.2. प्रत्यक्ष कर	Cooperation with Other Countries. 42 Direct Taxes	-	118.35	118.35
 प्रत्यक्ष कर आयकर विभाग के अतिरिक्त प्रतिष्ठान से संबंधित 	For meeting additional establishment			
व्यय को पूरा करने के लिए (257.84 करोड़ ₹)।	related expenditure (₹ 257.84 crore) of			
(2010)	Income Tax Department.	-	230.32	230.32
3. अप्ररत्यक्ष कर	43 Indirect Taxes			
अतिरिक्त प्रतिष्ठान से संबंधित व्यय (क) कस्टम	For meeting additional establishment			
कार्यालय (17.65 करोड़ ₹), तथा (ख) केन्द्रीय	related expenditure of (a) Custom Offices			
उत्पाद शुल्क कार्यालय (78.30 करोड़ ₹)।	(₹ 17.65 crore), and (b) Central Excise			
	Offices (₹ 78.30 crore).	-	53.90	53.90
वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग 	WELFARE			
(क) "सरकारी महाविद्यालयों में यूजी/पीजी सीटों	46 Department of Health and Family Welfare For (a) additional expenditure (₹ 3.70 crore)			
की काउंसलिंग" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय	under the scheme "Counseling for UG/PG			
हेतु (3.70 करोड़ ₹), (ख) चिकित्सा तथा लोक	seats in Government Colleges", (b) Grants			
स्वास्थ्य के अन्तर्गत अनुदान से संबंधित व्यय हेतु	related expenditure (₹ 287.09 crore) under			
(287.09 करोड़ ₹)।	Medical and Public Health.	-	3.70	3.70
ाह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
4. पुलिस	54 Police			
कोर्ट डिक्री में व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure in satisfaction of			
	court decrees.	-	8.15	8.15
ानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE			
0 0	DEVELOPMENT			
 उच्चतर शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा तथा सहायक सामग्री और उपकरण 	59 Department of Higher Education			
के अन्तर्गत व्यय से संबंधित अनुदान हेतु (104	For Grants related expenditure (₹ 104 crore) under General Education and Aid Materials			
करोड़ ₹) और 'कापीराइट बोर्ड' स्कीम के अन्तर्गत	and Equipment and other expenditure			
उपकरण, अन्य व्यय (1.20 करोड़ ₹)।	(₹ 1.20 crore) under the scheme 'Copyright			
014(1, 014 344 (1.20 4)(1)	Board'.	-	104.00	104.00
मूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
	BROADCASTING			
60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन के	For Grants related expenditure for Indian			
लिए अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	Institute of Mass Communication.	4.70	-	4.70
वेधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
2 चुनाव आयोग	62 Election Commission			
इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड	For meeting additional expenditure for			
इलेक्शन-मैनेजमेंट के लिए परिसर के निर्माण हेतु	construction of campus for India			
अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	International Institute of Democracy and			
	Election Management.	-	5.00	5.00
वीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE			
8. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	ENERGY 68 Ministry of New and Renewable Energy			
निम्नलिखित के लिए ऑफ-ग्रिड/वितरित विकेन्द्रीकृत	68 Ministry of New and Renewable Energy For Grants-in-aid General under Off-grid/			
नवीकरणीय विद्युत-सौर विद्युत के तहत सामान्य	distributed and decentralized renewable			
सहायता अनुदान हेतु (क) सौरक्रान्ति सिंचाई योजना	power - Solar Power for (a) to install 560			
	=			
के तहत बिहार के 6 जिलों के गाँवों में 560 सौर	numbers of Solar Photovoltaic water pumping			
	numbers of Solar Photovoltaic water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar			

			रोड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
फोटोवोल्टीय लाइट और कम क्षमता वाली सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली का संस्थापन (₹ 50 करोड़), (ग) पूरे भारत में विभिन्न डीजल की खपत वाले क्षेत्रों में 500 किलोवाट के आकार के सौर फोटोवोल्टीय विद्युत संयत्र का संस्थापन (₹ 49.50 करोड़) और (घ) जवारहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारतीय रेल के विभिन्न स्थलों में कुल 4 मेगावाट क्षमता के सौंर फोटोवोल्टीय विद्युत संयंत्र का संस्थापन (₹ 7.20 करोड़)।	(b) installation of Solar Photovoltaic lights and small capacity Solar Photovoltaic systems through NABARD (₹ 50 crore), (c) installation of Solar Photovoltaic power plants upto size of 500kWp in different diesel consuming sectors throughout India (₹ 49.50 crore), and (d) installation of Solar Photovoltaic power plants aggregating to 4 MWp capacity at different Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 7.20 crore).	110.26	-	110.26
कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्नलखित के लिए (क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के साथ व्यय की पूर्ति (₹ 30 करोड़) (ख) ट्रैप मनी की वापसी (₹ 1 करोड़), और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति ((₹ 0.87 करोड़)।	For (a) meeting expenditure (₹ 30 crore) under Professional Services of Staff Selection Commission, (b) refunding of trap money (₹ 1 crore), and (c) meeting establishment related expenditure (₹ 0.87 crore) of Central Vigilance Commission.	-	31.87	31.87
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 81 Ministry of Road Transport and Highways			
प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Major Works.	-	23.00	23.00
कपड़ा मंत्रालय 93. कपड़ा मंत्रालय बेंगलुरू और जम्मू एवं कश्मीर में हस्तकला भवन के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES 93 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure for construction of Building for Handicrafts Bhawan at Bengaluru and Jammu & Kashmir.	3.00	-	3.00
संघ शासित क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
96. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सूनामी प्रभावित किसान जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में आ गई थी को क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी व्यय की	96 Andaman and Nicobar Islands For meeting expenditure on payment of compensation to Tsunami affected farmers			
पूर्ति हेतु । कुल तकनीकी	whose land had got submerged. Total Technical	76.72	1 110 01	76.72
		195.42	1,119.01	1,314.43
 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान प्रस्तावित है, जिसके मुकाबले निर्दिष्ट व्यय को राजस्व उपज पूंजी भाग में बचतों के पुनविर्नियोग से पूरा किया जाएगा, संगत अनुदान का जैसा भी मामला हो। 	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय 1. कृषि एवं सहकारिता विभाग	MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) (i) अनुसचूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय	For (a) additional contribution under			

		(करोड़ रुपए Rupees in Cros आयोजना आयोजना-भिन्न जोड			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total	
कृषि घटक कार्यान्वयन के अन्तर्गत अति अंशदान हेतु (₹ 235 करोड़), (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 55 करोड़), (iii) जनजाति उपयोजना (₹ 10 करोड़), (iv) आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (₹ 115 करोड़), तथा (ख) समेकित तिलहन/पाम ऑयल/दालों तथा मक्का विकास अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹ 100 करोड़)।	(i) Implementation of National Agricultural Component Plan for Scheduled Castes (₹ 235 crore), (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 55 crore), (iii) Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore), (iv) Modified National Agricultural Insurance Scheme (₹ 115 crore), and (b) additional Grants-inaid General (₹ 100 crore) under Integrated Oilseeds/Oil palm/Pulses and Maize Development.	515.00	_	515.00	
 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अन्तर्गत अनुदान से 	2 Department of Agricultural Research and Education For Grants related expenditure under	313.00		313.00	
संबंधित व्यय हेतु।	Agricultural Research and Education.	143.75	-	143.75	
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 7. उर्वरक मंत्रालय आयतित् विनियंत्रित उर्वरक को सहायता उपलब्ध	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 7 Department of Fertilisers For providing subsidy to imported				
कराने हेतु।	decontrolled fertilisers.	-	3,000.00	3,000.00	
कोयला मंत्रालय 10. कोयला मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सतब्सिडी पर व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure on subsidy under Tribal Sub-Plan for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	12.70	-	12.70	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY				
 (क) (i) लघु ग्रोवर विकास स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडियों के लिए (₹ 0.10 करोड़) (ii) टी बोर्ड के अन्तर्गत ई-नीलामी तथा सहबद्ध कार्यकलापों के समेत टी-अधिनियम के विनियामक प्रावधान को कार्यान्वित करने की स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़), (ख) सांख्यिकीय तथा सूचना सेवाओं और ई-गवर्नेस की स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (2) निर्यात बंधु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (3) कार्यालय आवासीय भवन हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (4) रबर बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़) । (ख) (1) मुम्बई में कन्वेशन केन्द्र के लिए (i) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु (₹ 0.01 करोड़), (2) सामान्य सुविधा केन्द्र (₹ 0.01 करोड़), (3) जयपुर में कीमती पत्थर व्यवसाय (₹ 0.01 करोड़), (4) मुम्बई में कीमती पत्थर तथा जूलरी पार्क (₹ 0.01 करोड़) । (ii) जूलरी सेक्टर हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (iii) उपक्रम पूंजी स्कंध के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़), तथा (iv) 	(a) For (i) subsidies (₹ 0.10 crore) under Small Growers Development Scheme, and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) for the Scheme of Implementation of regulatory provision of Tea Act including e-auction and allied activities under Tea Board, (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards the scheme of Statistical and Information Services and e-Governance, (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards Niryat Bandhu Scheme, (v) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Office/Residential Buildings, (vi) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Training/Capacity Building under Rubber Board. (b) For (i) Grants for creation of Capital Assets for (1) Convention Centre in Mumbai (₹ 0.01 crore), (2) Common Facility Centre (₹ 0.01 crore), (3) Gem Business in Jaipur (₹ 0.01 crore), (4) Gems and Jewellery Park in Mumbai (₹ 0.01 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector, (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector, (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector, (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector, (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Venture Capital Fund,	0.24		0.24	

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
बायोसिमिलर/बायोइक्विवैलेंट अध्ययनों हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। रबर बोर्ड के अंतर्गत भवन। 12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	 and (iv) Grants-in-aid General for Biosimilar/Bioequivalent Studies (₹ 0.01 crore). Building under Rubber Board. 12 Department of Industrial Policy and Promotion 	0.07	-	0.07
(क) पूर्वोत्तर केंन्द्र में प्रतिबद्ध देयताओं के समाधान हेतु परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को	(a) For meeting additional expenditure under Transport Subsidy to settle the committed liability in North Eastern Region.	88.25	-	88.25
अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (₹ 0.34 करोड़) तथा नेशनल सीमेंट काउंसिल को सीमेन्ट तथा बिल्डिंग सामग्री हेतु (₹ 1 करोड़)।	(b) For providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Central Manufacturing Technology Institute (₹0.34 crore) and National Council for Cement Council for Cement and Building Material		1.24	1.24
(ग) हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध देयताओं के निपटान हेतु (i) परिवहन सब्सिडी के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 7.16 करोड़) तथा (ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज (₹ 29.34 करोड़)।	 (₹ 1 crore). (c) For meeting additional expenditure under (i) Transport Subsidy (₹ 7.16 crore) to settle the committed liability in Himachal Pradesh, and (ii) Package for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttrakhand (₹ 29.34 crore). 	36.50	1.34	1.34 36.50
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND			
 13. डाक विभाग कम्प्यूटरों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। 14 दूरसंचार विभाग मेसर्स आईटीआई लि. को वितीय सहायता उपलब्ध 	 INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts For meeting expenditure towards payment of Annual Maintenance Contracts of Computers. 14 Department of Telecommunications For providing financial support to M/s 	-	23.00	23.00
कराने हेतु ताकि वह अपने कार्मिकों के वेतन का भुगतान कर सके।		-	130.00	130.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 16 उपभोक्ता मामले विभाग प्याज की बिक्री और इस कारण नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन (₹ 0.44 करोड़) तथा नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया (₹ 0.08 करोड़) को हुए घाटे को पूरा करने के लिए ।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 16 Department of Consumer Affairs For meeting expenditure against sale of onion and the losses thereof to National Co-operative Consumer's Federation (₹ 0.44 crore) and National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India (₹ 0.08 crore).	-	0.52	0.52
संस्कृति मंत्रालय 19. संस्कृति मंत्रालय (क) कला और संस्कृति के तहत अनुदान संबंधी	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture (a) For Grants related expenditure under	27.52	20.54	66.06
व्यय के लिए। (ख) (i) गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर (₹ 0.22 करोड़) की 150वीं जयंती समारोह तथा और (ii) स्वामी विवेकानंद (₹ 0.50 करोड़) के समारोह के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	Art and Culture. (b) For Grants-in-aid General towards celebration of 150th Birth Anniversary of (i) Gurudev Rabindranath Tagore (₹ 0.22 crore) and (ii) Swami Vivekananda (₹ 0.50 crore).	37.52 0.72	28.54	0.72
रक्षा मंत्रालय 20. रक्षा मंत्रालय रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को सामान्य	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence For providing Grants-in-aid General to			

			रोड़ रुपए Rupees	
मनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Institute for Defence Studies and Analyses.	-	6.99	6.99
7 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क) भारी और मध्यम वाहन (₹ 101.50 और (ख) पूर्वोत्तर परियोजनाओं (₹ 10 क				
लिए व्यय हेतु।	(b) 'North Eastern Projects' (₹ 10 crore).	-	111.50	111.50
विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
भूविज्ञान मंत्रालय(क) कार्यक्रम 'अनुसंधान शिक्षा और	29 Ministry of Earth Sciences (a) For making contractual payment for the			
े विस्तार' के तहत मंत्रालय के मुख संबंधी प्रमुख निर्माण कार्य का संवि	भवन major works related to Headquarters			
संदाय कराने के लिए।	programme 'Research Education and Training Outreach'.	5.00	-	5.00
(ख) कार्यक्रम 'वातावरण-प्रक्रिया और प्र सेवाओं' के तहत राष्ट्रीय मध्यम रेंज	फ्पण (b) For making contractual payment to			
पूर्वानुमान केन्द्र के भवन निर्माण संबंध	प्रमुख Corporation Limited for the major			
निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय भवन निगम लिमिटेड को संविदापरक संद				
के लिए।	building's construction under the			
	programme 'Atmospheric Process and Modelling Services'.	7.00	-	7.00
र्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
). पर्यावरण और वन मंत्रालय	30 Ministry of Environment and Forests			
(क) (i) (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान अ				
परिषद (₹ 23 करोड़), (2) भारतीय संस्थान (₹ 2 करोड़), को साधारण				
अनुदान और (ii) भारतीय वानिकी अ	संधान Wildlife Institute of India (₹ 2 crore),			
और शिक्षा परिषद को पूंजीगत आजि				
सृजनार्थ अनुदानों (₹ 7 करोड़) के ' (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय बढ़ाने	ए। Assets to ICFRE (₹ 7 crore). इ लिए (b) For Grants-in-aid General to ICFRE for	32.00	-	32.00
आईसीएफआरई को सामान्य सहायता	नुदान augmentation of expenditure for the			
के लिए।	benefit of North Eastern Region.	1.50	-	1.50
(ग) (i) उत्कृष्टता केंद्रों (₹4 करोड़), (ii वल्लभ पंत हिमालयीन पर्यावरण और				
पल्लम पता हिमालयान पर्यापरण आर संस्थान (₹ 2.50 करोड़), (iii) प	· // /			
प्राधिकरणों और पर्यावरण आयो	तथा Institute of Environment and			
न्यायाधिकरण की स्थापना (₹ 0.45				
(iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (₹ 3 करोड़), और (v) जैवविविधता				
(₹ 28.06 करोड़) के लिए सामान्य				
अनुदान हेतु।	crore), (iv) National Natural Resource			
	Management System (₹ 3 crore), and			
	(v) Bio-diversity Conservation (₹28.06 crore).	38.01	_	38.01
(घ) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय व	अधीन (d) For meeting capital expenditure			
सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय प्राकृतिक				
संग्रहालय के भवन-निर्माण के लि व्यय को पूरा करने हेतु।	पूंजी Regional Museum of Natural History at Sawai Madhopur under National			
	Museum of Natural History.	4.00	-	4.00
देश मंत्रालय । विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs			
अतिविशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के लिए एअ	इंडिया For providing additional funds towards			
को रखरखाव लागत के लिए अतिरिक्त देने हेतु।			73.73	73.73
4.1 6/11	travel.	-	13.13	13.13

					रोड़ रुपए Rupee	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
32	आर्थिक कार्य विभाग (क) बजट मुद्रणालय की मशीनरी के क्रय पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	32	Department of Economic Affairs (a) For meeting additional expenditure on purchase of Machinery for Budge		0.01	0.01
	(ख) नवसृजित राष्ट्रीय वित्तधारक कंपनी लिमिटेड में इक्विटी निवेश हेतु।		Press. (b) For equity investment in the newly created National Financial Holdings Company Limited.		0.91 1.00	1.00
	(ग) (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अनुरक्षण मूल्य का भुगतान (₹ 4005.43 करोड़); और (ii) अंतरराष्ट्रीय पुनःनिर्माण और विकास बैंक, एशियायी विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक को भारत सरकार के अभिदान पर नकदी में (₹ 29.03 करोड़) विनिमय दर और प्रतिभूतियों (₹ 20.44 करोड़) में अंतर को पूरा करने के लिए।		(c) For (i) payment of Maintenance of Value (₹ 4005.43 crore) to International Monetary Fund (IMF), and (ii) meeting exchange rate variation in Cash (₹ 29.03 crore) and Securities (₹ 20.44 crore) on Government of India Subscription to International Bank for Reconstruction and Development Asian Development Bank and African			
	(घ) नई उधार व्यवस्था के तहत आईएमएफ को कर्ज प्रदान करने के लिए।		Development Bank. (d) For providing loans to IMF under New Arrangement to Borrow.		4,054.90 11,294.60 1	4054.90
33	वित्तीय सेवा विभाग (क) जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित समाज सुरक्षा निधि में बढ़त के लिए।	33	Department of Financial Services (a) For augmenting the Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India Limited for			
	(ख) भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण कोष को निर्गत प्रतिभूतियों (₹ 300 करोड़) के मोचन हेतु और (ii) आवासन कर्जों पर ब्याज की आर्थिक सहायता के इमदादी भुगतान (₹ 100 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Janashree Bima Yojana. (b) For meeting additional expenditure (i) towards redemption of securities (₹ 300 crore) issued to Stressed Assets Stabilisation Fund, and (ii) or subsidy payment (₹ 100 crore) ir respect of interest subvention or housing loans.		25.00 400.00	25.00 400.00
	(ग) (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी (₹ 500 करोड़) के अभिदान और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरणार्थ सरकारी शेयर हेतु अंशदान (₹ 335 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure or (i) subscription to the Share Capital (₹ 500 crore) of the National Bank for Agriculture and Rural Development and (ii) contribution (₹ 335 crore) towards Government's share for recapitalisation of Regional Rura		100.00		
41	राजस्व विभाग	41	Banks. Department of Revenue	835.00	-	835.00
	(क) माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन के वाहन को सहायता अनुदान तथा 'अन्य राजकोषीय सेवाओं' के अधीन व्यय		(a) For Grants-in-aid to special purpose vehicle for Goods and Service Tax Network and other Grants related			
	संबंधी अन्य अनुदानों के लिए। (ख) 'अन्य उधारों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय बढ़ाने		expenditure under 'Other Fiscal Services' (b) For augmenting additional	-	12.08	12.08
	के लिए। (ग) माल और सेवा कर नेटवर्क के विशेष प्रयोजन वाले वाहन की इक्विटी भागीदारी के लिए।		expenditure under 'Other Industries'. (c) For equity participation to special purpose vehicle for Goods and Service	-	80.72	80.72
42	प्रत्यक्ष कर सार्वजनिक निर्माण कार्य संबंधी पूंजी परिव्यय के	42	Tax Network. Direct Taxes For additional expenditure under Capita	-	2.45	2.45
43	तहत अतिरिक्त व्यय हेतु अप्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय सीमाशुल्क और स्वापक सामग्री अकादमी के लिए नए कार्यालयीन परिसर के निर्माणार्थ अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	43	Outlay on Public Works. Indirect Taxes For meeting additional expenditure for construction of a new office complex for National Academy of Customs Excise and Narcotics.		57.50 3.50	57.50 3.50

		(करोड़ रुपए Rupees in Cro आयोजना आयोजना-भिन्न जोर		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	आयाजना-ाभन्न Non Plan	जाड़ Total
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्तरोन्नयन/संस्थापन/आधुनिकीकरण (₹ 50 करोड़) और (ii) मेगा फूड पार्कों के अवसंरचनात्मक विकास (₹ 2.50 करोड़) की योजना में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (ख) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण (₹ 10 करोड़), और (ii) मेगा फूड पार्कों के लिए अवसंरचना विकास (₹ 2.38 करोड़) योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 45 Ministry of Food Processing Industries (a) For providing additional Grants-in-aid General to the scheme of (i) Technology Up gradation/Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries (₹ 50 crore), and (ii) Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.50 crore). (b) For providing additional Grants-in- aid General for the benefit of North Eastern Region to the scheme of (i) Technology Up gradation/ Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (₹ 10 crore), and (ii) Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.38 crore).	52.50	- -	52.50
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
 46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अधीन अनुदान संबंधी व्यय के लिए। (ख) परिवार कल्याण के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय के लिए। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ अनुदान संबंधी व्यय के लिए। (घ) 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम' के अधीन संयुक्त राष्ट्र नवोन्मेष से सहायक सामग्री सहायता के लिए। 48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग योजना स्मारक स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र, भोपाल का व्यय पूरा करने के लिए भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान के लिए। 	 WELFARE 46 Department of Health and Family Welfare (a) For Grants related expenditure under Medical and Public Health. (b) For Grants related expenditure under Family Welfare. (c) For Grants related expenditure for the benefit of North Eastern Region. (d) For aid material assistance from United Nations Innovative under 'National T.B. Control Programme'. 48 Department of Health Research For Grants-in-aid-General to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting expenditure of Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal. 	335.26 13.22 37.63	72.59 - 16.50	335.26 85.81 37.63 16.50
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
 50. भारी उद्योग विभाग (क) मोटर और संबद्ध उद्योग विकास परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। (ख) नेपा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु उसके 7% गैर संचयी अधिमान शेयर में निवेश हेतु। 	PUBLIC ENTERPRISES 50 Department of Heavy Industry (a) For providing Grants-in-aid General to Development Council for Automobile and Allied Industry. (b) For investment in 7% non-cumulative preference share of NEPA towards implementation of their Voluntary Retirement Scheme.	60.00	10.00	10.00
गृह मंत्रालय 52. गृह मंत्रालय (क) (i) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़), (ii) अनुवाद प्रशिक्षण विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) और (iii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद क्षमता विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) के लिए प्रकाशन और (ख) केंद्रीय अनुवाद	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 52 Ministry of Home Affairs For meeting expenditure under (a) Publication in respect of (i) Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore), (ii) Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore) and (iii) Scheme			

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ब्यूरो (₹ 0.02 करोड़) तथा (ii) अनुवाद प्रशिक्षण विस्तार योजना (₹ 0.01 करोड़) के लघु निर्माण कार्य के अधीन व्यय पूरा करने के लिए।	of Expansion of Translation Capacity in Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore) and (b) Minor Works in respect of (i) Central Translation Bureau (₹ 0.02 crore) and (ii) Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore).	-	0.06	0.06
54. पुलिस (क) 'पुलिस' शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। (ख) गोरखालैंड प्रदेश प्रशासन को पूंजीगत	54 Police(a) For meeting additional expenditure under the head 'Police'.(b) For providing Grants for creation of	38.26	153.01	191.27
आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु। (ग) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरों को सामान्य सहायता	capital assets to Gorkhaland Territorial Administration. (c) For Grants-in-aid General to Narcotics	-	65.00	65.00
अनुदान हेतु। (घ) 'पुलिस पूंजी परिव्यय' पर अतिरिक्त खर्च के	Control Bureau. (d) For additional expenditure on 'Capital	-	0.40	0.40
लिए।	Outlay on Police'.	284.82	395.18	680.00
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (क) राजीव आवास योजना के अंतर्गत अल्प आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी कोष की स्थापना और (ख) 'राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन नीतियों में सहयोग' योजना के अंतर्गत सामान्य प्रावधान वाले सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए सरकारी अंशदान (₹ 50 करोड़) हेतु।	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION 57 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation For (a) Government contribution (₹ 50 crore) for establishment of Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing under Rajiv Awas Yojana and (b) augmentation Grants-in-aid General provisions (₹ 2.87 crore) under the scheme of 'Support to National Policies for Urban	50.05		72.05
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	Poverty Eradication'. MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	52.87	-	52.87
58. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	58 Department of School Education and Literacy			
(क) सामान्य शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय	(a) For Grants related expenditure under General Education.(b) For Grants related expenditure under	230.17	-	230.17
हेतु। 59. उच्चतर शिक्षा विभाग	North Eastern Areas. 59 Department of Higher Education	90.11	-	90.11
(क) सामान्य शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under General Education.	42.00	-	42.00
(ख) तकनीकी शिक्षा के अधीन अनुदान संबंधी व्यय हेतु। (ग) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार योजना के अधीन चालू क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त अपेक्षा पूरी करने संबंधी पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान हेतु।	 (b) For Grants related expenditure under Technical Education. (c) For Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement for ongoing activities under the scheme 'Central Institute of Technology (CIT), 	232.80	-	232.80
	Kokrajhar'.	15.00	-	15.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 60 Ministry of Information and			
 (क) सूचना और प्रचार के तहत व्यय पूरा करने हेतु।	Broadcasting (a) For meeting expenditure under Information and Publicity.	-	0.70	0.70
(ख) 'राष्ट्रीय मुद्रणालय केंद्र स्थापना' योजना के अधीन व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure under the scheme 'Setting up of National Press Centre'.	7.45		7.45

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
श्रम और रोजगार मंत्रालय 61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 61 Ministry of Labour and Employment			
(क) श्रम और नियोजन के तहत अतिरिक्त व्यय के लिए। (ख) बीड़ी कामगार हित कोष/स्वास्थ्य के अधीन	(a) For additional expenditure under Labour and Employment.(b) For expenditure under Beedi Workers	0.35	17.94	18.29
व्यय हेतु।	Welfare Fund/Health.	0.01	-	0.01
विधि और न्याय मंत्रालय 62. निर्वाचन आयोग अनुदान संबंधी व्यय आदि पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 62 Election Commission For meeting Grants related expenditure, etc.	-	4.11	4.11
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 'सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम समूह विभाग कार्यक्रम	65 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises For Grants-in-aid Salary expenditure under			
तथा संवृद्धि केंद्रों के अधीन सहायता अनुदान वेतन व्यय हेतु।	'MSME Cluster Development Programme and Growth Poles'.	0.65	-	0.65
खान मंत्रालय 66. खान मंत्रालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के व्यय में इजाफा हेतु।	MINISTRY OF MINES 66 Ministry of Mines For augmentation of expenditure of Geological Survey of India.	8.55	-	8.55
ग्रामीण विकास मंत्रालय 82. ग्रामीण विकास विभाग (क) (i) ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान को सहायता-अनुदान (₹ 25 करोड़) और (ख) बीपीएल सर्वेक्षण की अतिरिक्त अपेक्षा (₹ 100 करोड़) पूरी करने हेतु। (ख) (i) एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत परामर्श सेवाएं (₹ 0.60 करोड़), तथा (ii) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा कौशल विकास; के व्यय को पूरा करने हेतु (₹8.25 करोड़)।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 82 Department of Rural Development (a) For (i) Grants-in-aid to Institute of Rural Management Anand (₹ 25 crore), and (ii) meeting additional requirement for BPL Survey (₹ 100 crore). (b) For meeting expenditure towards (i) consultancy services under ADB assisted Projects (₹ 0.60 crore), and (ii) training and skill development under World Bank Assistant Projects (₹ 8.25 crore).	125.00 8.85	-	125.00 8.85
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (क) इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) अन्य देशों के साथ एस व टी सहयोग (₹ 2.00 करोड़), (2) इण्डो-जर्मन साइन्स एण्ड टेक्लोलोजी सेन्टर (₹ 3 करोड़), (3) इण्डो-यूएस साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी फोरम (₹ 0.30 करोड़) तथा (ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) एस एण्ड टी उद्यमशीलता विकास (₹ 1.55 करोड़), (2) अनुसंधान तथा विकास सहायता (₹ 9.70 करोड़), (3) नेशनल मिशन आन नैनो साइन्स एण्ड नैनो टेक्नालोजी (₹ 16 करोड़)।	85 Department of Science and Technology For (a) Grants-in-aid General under the scheme of (1) S&T Cooperation with Other Countries (₹ 2 crore), (2) Indo-German Science & Technology Centre (₹ 3 crore), (3) Indo-US Science & Technology Forum (₹ 0.30 crore), and (b) Grants for creation of capital assets under the scheme of (1) S&T Entrepreneurship Development (₹ 1.55 crore), (2) R&D Support (₹ 9.70 crore), (3) National Mission on Nano Science & Nano Technology (₹ 16 crore).	32.55	_	32.55
नौवहन मंत्रालय 88. नौवहन मंत्रालय मुख्य रूप से भारतीय पारगमन ट्रैफिक की	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping For meeting expenditure on Grants-in-aid			

अंगुदाना का पूरक मान,	2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR	GRANIS		(X111)
		(कर	गेड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रोटोकोल अंतर्देशीय जल मार्गों के रखरखाव हेतु बांग्लादेश सरकार को सामान्य अनुदान पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु।	General to the Government of Bangladesh for maintenance of the protocol inland waterway routes by the Government of Bangladesh for catering primarily to Indian transit traffic.	-	5.60	5.60
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़िकयों हेत्	EMPOWERMENT 89 Ministry of Social Justice and Empowerment For augmenting Grants for creation of			
हॉस्टलों की योजना हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों को बढ़ाना।	capital assets to the Central Universities in the scheme of Boys and Girls Hostels for Other Backward Classes.	6.00	-	6.00
अन्तरिक्ष विभाग 90. अन्तरिक्ष विभाग इनके लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (क) इनसेट-3डी लॉंच सर्विसिस (₹ 249.25 करोड़) तथा (ख) जीसेट-7 लॉंच सर्विसिस (₹ 340.80 करोड़)।	DEPARTMENT OF SPACE 90 Department of Space For meeting additional expenditure for (a) INSAT-3D Launch Services (₹ 249.25 crore), and (b) GSAT-7 Launch Services (₹ 340.80 crore).	590.05	-	590.05
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दो राज्यों में छठी आर्थिक जनगणना करने नामतः	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 91 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting expenditure towards			
(क) आन्ध्र प्रदेश ₹ 48 करोड़), तथा (ख) ओडिशा ₹ 24 करोड़)।	conducting Sixth Economic Census in two States viz., (a) Andhra Pradesh (₹48 crore), and (b) Odisha (₹24 crore).	72.00	-	72.00
कपड़ा मंत्रालय 93. कपड़ा मंत्रालय (क) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के वेतन प्रावधान हेतु अनुदान को बढ़ाने हेतु, (ख) उद्योगों हेतु प्रावधानों को बढ़ाने हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES 93 Ministry of Textiles (a) For augmenting Grants-in-aid Salary provision to Central Silk Board. (b) For augmenting provisions under Industries.	22.19	17.17 0.91	17.17 23.10
विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेश	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
	LEGISLATURES)			
97. चण्डीगढ़ (क) उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	97 Chandigarh(a) For revenue expenditure under Ministry of Consumer Affairs, Food			
(ख) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	and Public Distribution. (b) For revenue expenditure under	10.80	-	10.80
(ग) पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व व्यय	Ministry of Home Affairs. (c) For revenue expenditure under	10.00	-	10.00
हेतु। (घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत	Ministry of Tourism. (d) For Capital Expenditure under	2.00	-	2.00
व्यय हेतु।	Ministry of Environment and Forests.	34.50	-	34.50
(ड) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(e) For Capital Expenditure under Ministry of Health and Family Welfare.	6.83	-	6.83
(च) गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(f) For Capital Expenditure under Ministry of Home Affairs.	10.50	-	10.50
(छ) उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(g) For Capital Expenditure under Department of Higher Education.	0.69	-	0.69
(ज) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(h) For Capital Expenditure under Ministry of Labour and Employment.	0.19	-	0.19

			रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Plai	
(झ) शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(i) For Capital Expenditure under Ministry of Urban Development.	1.86	-	1.86
शहरी विकास मंत्रालय 101.शहरी विकास विभाग इन योजनाओं में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को बढ़ाना। (क) सीवरेज प्रणाली का विकास/सुधार ₹ 2 करोड़), तथा (ख)	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 101 Department of Urban Development For augmenting Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets in the schemes of (a)Development/Improvement of Sewerage			
पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी अवसंरचना विकास परियोजना ₹ 2 करोड़)। 102.सार्वजनिक निर्माण राज्य सभा के मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय।	System (₹ 2 crore), and (b) Urban Infrastructure Development Project (₹ 2 crore) in North Eastern Region. 102 Public Works For expenditure on major works of Paive	4.00	-	4.00
राज्य समा क मुख्य गिमाण काय पर व्यया	For expenditure on major works of Rajya Sabha.	-	1.00	1.00
जल संसाधन मंत्रालय 104.जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय जल तथा बिजली अनुसंधान स्टेशन के अंतर्गत परामर्शदाताओं के वेतन हेतु व्यय (₹ 0.018 करोड़)।	MINISTRY OF WATER RESOURCES 104 Ministry of Water Resources For payment of remuneration (₹ 0.018 crore) to Consultants under Central Water and Power Research Station.	-	0.01	0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत अतिरिक्त	105 Ministry of Women and Child Development For meeting additional expenditure under			
व्यय को पूरा करने हेतु।	Social Security and Welfare.	36.57	5.61	42.18
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
 106. युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) विकलागों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹ 2 करोड़) तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान हेतु ₹ 0.40 करोड़)। (ख) राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान हेतु। 	 (a) For (i) Grants-in-aid-General under the scheme promotion of Sports amongst disable (₹ 2 crore) and (ii) Grants-in-aid-Salaries to regional centres under National Service Scheme (₹ 0.40 crore). (b) For Grants-in-aid Salaries to Regional Centres under National Service 	2.40	-	2.40
(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राज्य संपर्क अधिकारियों को वेतन अनुदान हेतु।	Schemes. (c) For Grants-in-aid Salaries to State Liaison Officers under National Service Scheme.	-	0.10 1.00	0.10 1.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.54	0.40	0.94
5. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹251,73,34,000 करोड़ के छः अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	5. Six advances aggregating ₹ 251,73,34,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,275.42	29,844.08	32,119.50
- निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	2,079.46	28,724.67	30,804.13
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	195.42	1,119.01	1,314.43
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.54	0.40	0.94

विषय सूची CONTENTS

							(करोड़ रुपए	Rupees in	crore)
						राजस्व	पूंजी	_	पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृष्टि	ो मंत्रालय		MI	NISTRY OF AGRICULTURE					
1.	कृषि और सहकारिता		1.	Department of Agriculture and					
	विभाग	स्वीकृत		Cooperation	Voted	0.01		0.01	1
2.	कृषि अनुसंधान और		2.	Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.01		0.01	2
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा		3.	Department of Animal Husbandry,					
	मात्स्यिकी विभाग	भारित		Dairying and Fisheries	Charged	0.71		0.71	3
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS					
				AND FERTILISERS					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	Т	6.	Department of Chemicals and					
		स्वीकृत		Petrochemicals	Voted	2.50		2.50	4
7.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	5
नाग	र विमानन मंत्रालय		MI	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted		2000.00	2000.00	6
0.			٠.	namony of Civilianation	, 5104		2000.00	2000.00	Ü
	ाला मंत्रालय		MI	NISTRY OF COAL					
10.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10.	Ministry of Coal	Voted	0.01	65.00	65.01	7
वापि	गज्य और उद्योग मंत्रालय		MI	NISTRY OF COMMERCE					
				AND INDUSTRY					
11.	वाणिज्य विभाग	भारित	11.	Department of Commerce	Charged	0.03		0.03	8-9
		स्वीकृत			Voted	0.02		0.02	
12.	औद्योगिक नीति तथा	·	12.	Department of Industrial Policy					
	संवर्धन विभाग	स्वीकृत		and Promotion	Voted	0.03		0.03	10
संच	ार और सूचना		MI	NISTRY OF COMMUNICATIONS					
•••	प्रौद्योगिकी मंत्रालय			AND INFORMATION TECHNOLO	OGY				
13.	डाक विभाग	भारित	13.	Department of Posts	Charged	0.54	0.03	0.57	11
		स्वीकृत			Voted	0.01		0.01	
14.	दूरसंचार विभाग	भारित	14.	Department of Telecommunications	Charged	87.65		87.65	12
	6	स्वीकृत		•	Voted	0.01		0.01	
न्यार	भोक्ता मामले, खाद्य और		м	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS					
04	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		IVII	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUT					
16	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16			10.01		10.01	12
10.	उपनापता नानल विनान	स्पापरूरा	10.	Department of Consumer Affairs	Voted	10.01	•••	10.01	13
	कृति मंत्रालय			NISTRY OF CULTURE					
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19.	Ministry of Culture	Voted	0.03	•••	0.03	14-15
रक्षा	मंत्रालय		MI	NISTRY OF DEFENCE					
20.	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	20.	Ministry of Defence	Voted	0.01		0.01	16
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	भारित		Defence Services - Navy	Charged	7.00		7.00	17
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	भारित		Defence Services - Air Force	Charged	3.00		3.00	18
	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	27.	Capital Outlay on Defence Services	Voted		0.01	0.01	19
	- -	-		•					

					(करोड़ रुपए	-	i crore)
					राजस्व	पूंजी		पृष्ठ
मांग संख्या और शीर्षक		N	o. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			ISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	29. 1	Ministry of Earth Sciences	Voted		0.02	0.02	20
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MIN	ISTRY OF ENVIRONMENT					
		I	AND FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30. 1	Ministry of Environment and Forests	Voted	0.03	0.01	0.04	21
विदेश मंत्रालय		MIN	ISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. 1	Ministry of External Affairs	Voted	0.01	365.00	365.01	22
वित्त मंत्रालय		MIN	ISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. I	Department of Economic Affairs	Voted	118.35	0.04	118.39	23-24
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत		Department of Financial Services	Voted	0.02	0.01	0.03	25
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत		Department of Revenue	Voted	0.02	0.01	0.03	26
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Direct Taxes	Voted	230.32	0.01	230.33	27
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Indirect Taxes	Voted	53.90	0.01	53.91	28
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MIN	ISTRY OF FOOD PROCESSING					
			INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			Ministry of Food Processing					
मंत्रालय	स्वीकृत		Industries	Voted	0.02		0.02	29
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राल	ग्रा	MINI	ISTRY OF HEALTH AND					
रवारच्य ५व नारवार प्रत्यांन राजार	14		FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार			Department of Health and					
कल्याण विभाग	स्वीकृत		Family Welfare	Voted	3.75		3.75	30-32
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत		Department of Health Research	Voted	0.01		0.01	33
भारी उद्योग और सरकारी		MIN	ISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
उद्यम मंत्रालय			AND PUBLIC ENTERPRISES					
50. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत		Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	34
गृह मंत्रालय		MIN	ISTRY OF HOME AFFAIRS					
52. गृह मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	•••	0.01	35
53. मंत्रिमंडल	स्वीकृत		Cabinet	Voted	20.00	30.13	50.13	36
54. पुलिस	भारित	54. I		Charged	8.15		8.15	37-38
on gan	स्वीकृत	54. 1	. once	Voted	0.04	0.02	0.06	37 30
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन		MIN	ISTRY OF HOUSING AND					
मंत्रालय			URBAN POVERTY ALLEVIATION	J				
57. आवास और शहरी गरीबी उन्	। तन		Ministry of Housing and Urban	•				
मंत्रालय	ूर' ' स्वीकृत		Poverty Alleviation	Voted	0.01	•••	0.01	39
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINI	ICTDY OF HUMAN DECOUDE					
नागव संसावन विकास नेत्रालव			ISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
58. विद्यालयी शिक्षा और		58. I	Department of School Education					
साक्षरता विभाग	स्वीकृत		and Literacy	Voted	0.02		0.02	40
59. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	59. I	Department of Higher Education	Voted	104.03		104.03	41-42
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			ISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
60. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			Ministry of Information					
००. तुन ॥ १५ जसारन गंजालप	स्वीकृत			Votad	171	0.01	4.72	12
	रवाष्ट्रमा	2	and Broadcasting	Voted	4.71	0.01	4.72	43

			(करोड़ रुपए Rupees in c				crore)
				राजस्व	पूंर्ज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02	0.01	0.03	44
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
62. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	62. Election Commission	Voted	0.01	5.00	5.01	45
64. विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	64. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	9.50		9.50	46
सूक्ष्म, लघु और मध्यम		MINISTRY OF MICRO, SMALL					
उद्यम मंत्रालय		AND MEDIUM ENTERPRISES					
65. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01		0.01	47
७वन नेत्रालप	रपापट्टरा	Medium Enterprises	voteu	0.01		0.01	47
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
66. खान मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Mines	Voted	0.01	79.46	79.47	48
नवीन तथा नवीकरणीय		MINISTRY OF NEW AND					
जर्जा मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
68. नवीन तथा नवीकरणीय		68. Ministry of New and Renewable					
ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	Energy	Voted	110.26		110.26	49
कार्मिक, लोक शिकायत और		MINISTERY OF BERSONNEL BURLIS					
फानिक, लाक शिकायत आर पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72. कार्मिक, लोक शिकायत और		72. Ministry of Personnel, Public					
पेंशन मंत्रालय	भारित	-	Charged	1.87		1.87	50
	स्वीकृत		Voted	30.00		30.00	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM					
73. पेट्रोलियम और प्राकृतिक		AND NATURAL GAS 73. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	28500.00		28500.00	51
गैस मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Tetroleum and Natural Gas	voica	20300.00	•••	20300.00	31
0		THE PRESIDENT, PARLIAMENT,					
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति	r	UNION PUBLIC SERVICE					
का सचिवालय	'	COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE					
		VICE-PRESIDENT					
76. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारी	वृद,	76. Appropriation - Staff, Household and					
आवास और भत्ते	भारित		Charged	0.96		0.96	52
77. लोक सभा	स्वीकृत	77. Lok Sabha	Voted	38.40		38.40	53
सड़क परिवहन तथा		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT					
राजमार्ग मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
81. सङ्क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	भारित	81. Ministry of Road Transport and Highways	Charged		23.00	23.00	54
COMPT NAICE	-111 ((1	and Highways	Chargea		23.00	23.00	54
ग्रामीण विकास मंत्रालय	_	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	Γ				
82. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	0.02	•••	0.02	55
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND					
or O - 2 2 2 0		TECHNOLOGY					
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Science and	Voted	0.01		0.01	56
।पगाग	स्याप्यृत	Technology	voted	0.01	•••	0.01	30

					(करोड़ रुपर्	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंर्ज	गे जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
नौवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
88. नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Shipping	Voted	0.01		0.01	57
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
89. सामाजिक न्याय और		89. Ministry of Social Justice and					
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	Empowerment	Voted	0.01		0.01	58
अन्तरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
90. अन्तरिक्ष विभाग	स्वीकृत	90. Department of Space	Voted		0.01	0.01	59
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION	N				
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम		91. Ministry of Statistics and Programme					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Implementation	Voted	0.01		0.01	60
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
92. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Steel	Voted	125.68		125.68	61
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
93. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Voted	0.03	3.00	3.03	62
संघ राज्य क्षेत्र		UNION TERRITORIES					
(विधान-मंडल रहित)		(WITHOUT LEGISLATURE)					
96. अंडमान और निकोबार		96. Andaman and Nicobar Islands					
द्वीपसमूह	स्वीकृत		Voted	76.72		76.72	63
97. चंडीगढ़	स्वीकृत	97. Chandigarh	Voted	0.03	0.06	0.09	64-65
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMEN	Т				
101.शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	101. Department of Urban Development	Voted	0.01		0.01	66
102.लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	102. Public Works	Voted		0.01	0.01	67
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
104.जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Water Resources	Voted	0.01		0.01	68
महिला और बाल विकास		MINISTRY OF WOMEN AND					
मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
105.महिला और बाल विकास		105. Ministry of Women and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.02		0.02	69
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
106. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	AND SPORTS 106. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.03		0.03	70
	ž				AFF 0 0=	22440 = 2	
कुल जोड़	भारित	GRAND TOTAL	Cl. :	29548.63	2570.87		
	<i>भारत</i> स्वीकृत		Charged	119.41 29429.22	23.03 2547.84	142.44 31977.06	
अनुबंध	रपापटूरा	ANNEXURE	voted	∠J+∠J.∠∠	2341.04	31711.00	71
~ 3~~							/ 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					ees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	20466.77	63.45	20530.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		20466.78	63.45	20530.23
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	मुख्य शीर्ष वे	ज्ञंतर्गत दिखाया	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for und	er the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i.) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन (₹ 235 करोड़), अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक (₹ 55 करोड़) तथा जनजातीय उप योजना (₹ 10 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान।
- (ii.) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान(₹ 115 करोड़।
- (iii.) समेकित तेलबीज/ऑयलपाम/दालों तथा मक्का विकास के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant is required for:

- (i.) additional contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (₹ 235 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 55 Crore) and Tribal Sub Plan (₹ 10 Crore) under the scheme Implementation of National Agricultural Insurance Schemes.
- (ii.) additional contribution under Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) (₹ 115 crore).
- (iii.) additional Grants-in-Aid General (₹ 100 crore) under Integrated Oilseeds/Oilpalm/Pulses and Maize Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अन्संधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(111)			,			
					<i>(</i> करोड़ रुपये <i>F</i>	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	5392.00		5392.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5392.01		5392.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	त्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and Education	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- केरल पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुकोइ, केरल को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.78 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 20.40 करोड़)
- (ii) आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.05 करोड़) तथा (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 36.55 करोड़)
- (iii) चौधरी चरण सिंह हिरयाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार हिरयाणा को सामान्य सहायतानुदान (₹ 0.30 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान (₹ 4 करोड़)
- (iv) केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिस्र, केरल को सामान्य सहायतानुदान (₹ 5.38 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 44.41 करोड़)
- (v) ओड़ीशा कृषि तथा प्रौचोगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा को सामान्य सहायतानुदान (₹ 1.38 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 17.49 करोड़)
- (vi) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड, कर्नाटक को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.96 करोड़), तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 11.05 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (i) Grants-in-aid General (₹ 0.78 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20.40 crore) to Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Pookode, Kerala.
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.05 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 36.55 crore) to Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Hyderabad, Andhra Pradesh.
- (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4 crore) to Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hissar, Haryana.
- (iv) Grants-in-aid General (₹ 5.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 44.41 crore) to Kerala Agricultural University, Thrissur, Kerala.
- (v) Grants-in-aid General (₹ 1.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 17.49 crore) to Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar, Odisha.
- (vi) Grants-in-aid General (₹ 1.96 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 11.05 crore) to University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2338.57	22.80	2361.37	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	भारित:		Charged:	0.71		0.71	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2339.28	22.80	2362.08	
	भारित:		Charged:	0.71		0.71	
	स्वीकृत:		Voted:	2338.57	22.80	2361.37	
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखार	॥ जायेगाः		
		II. This Supplementary Appropriation will b	e accounted fo	or under the fo	ollowing Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2403 - पशु पालन	भारित:	2403 - Animal Husbandry	Charged:	0.71		0.71	

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) प्रादेशिक स्टेशनों हेतु चारा उत्पादन योजना तथा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूलन, गाँधी नगर जिले द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रभारित व्यय के अन्तर्गत निधियों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करना। भारत के आक्स्मिक कोष से ₹ 12.34 लाख की पाशि आहरित की गई थी और संसद द्वारा पूरक अनुदानों के पारित होने के पश्चात निधि की पुन: पूर्ति हेतु। राजस्व भाग के अन्तर्गत पारित बजट में बचतें उपलब्ध हैं अतएव कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ii) मेसर्स आवाज बिल्डर्स (प्रा.) लि. को राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्म्लन परियोजना की योजना में मध्यस्थता पंचाट को कार्यान्वित करने हेतु वस्तुशीर्ष, दर और करों के तहत ₹ 57.33 लाख का भुगतान।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

- (i) meeting the immediate requirement of funds under Charged expenditure in the scheme of Regional Stations for Forage Production and Demonstration for payment of compensation for implementation of judgment passed by Motor Accident Claims Tribunal, Gandhi Nagar District. A sum of ₹ 12.34 lakhs was drawn from Contingency Fund of India and this is to be recouped to the fund after Supplementary Grants is passed by Parliament. This will involve no additional cash outgo as savings are available in voted budget under Revenue Section.
- (ii) payment of ₹ 57.33 lakhs for Rents, Rates & Taxes in the scheme of National Project on Rinderpest Eradication (NPRE) to M/s Awaz Builders (P) Ltd. to implement the arbitration award.
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1761.50	41.12	1802.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	2.50		2.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1764.00	41.12	1805.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	r the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		2.50	2.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) भोपाल गैस पीडि़तों को अनुग्रह राशि का संवितरण (₹ 67.70 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लि. द्वारा 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार देय ₹ 2.50 करोड़ की ब्याज माफी हेतु आवश्यक लेखा समायोजन। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) disbursal of ex-gratia to Bhopal Gas victims (₹ 67.70 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ii) carrying out necessary accounting adjustment for interest waiver amounting to ₹ 2.50 crore as on 1.4.2012 payable by Hindustan Insecticides Limited. This will be matched by receipts, hence it will not entail cash outgo.

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					ees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	65629.96	244.04	65874.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		65629.97	244.04	65874.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्ष वे	5 अंतर्गत दिखाया	जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for und	ler the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:		0.01	0.01

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: आयातित विनियंत्रित उर्वरकों को सब्सिडी प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant is required for:

providing subsidy to imported decontrolled fertilisers ($\stackrel{?}{\underset{\sim}}$ 3000.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 1083.02 4155.82 5238.84 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: स्वीकृत: Voted: 2000.00 2000.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1083.02 6155.82 7238.84 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation 5053 - नागर विमानन पर पूंजी स्वीकृत: Voted: 2000.00 2000.00 परिव्यय

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

प्रतिवर्तन आयोजना और वितीय पुनर्गठन आयोजना के भाग के रूप में एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी सम्मिश्रण। इसमें निवल नकद व्यय होगा। equity infusion in Air India Limited as part of Turn Around Plan and Financial Re-structuring Plan. This will entail net cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

स्वीकृत:

स्वीकृत:

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

I. ORIGINAL GRANT:

now required:

Supplementary Estimate of the amount

Total (Original plus Supplementary)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड Capital Total Revenue 498.35 30.00 528.35 0.01 65.00 65.01 498.36 95.00 593.36 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़

Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्य भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4803 - कोयला और स्वीकृत: 4803 - Capital Outlay on Coal and Voted: 65.00 (खb) 65.00 लिग्नाइट पर पूंजी Lignite परिव्यय जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.01 65.00 65.01

> टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

राजस्व

Voted:

Voted:

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग CAPITAL SECTION

4803 - कोयला और 4803 - Capital Outlay on Coal and

लिग्नाइट पर पूंजी Lignite

परिव्यय

।. मूल अनुदानः

इस समय आवश्यक

रकम का पूरक अनुमान:

जोड़ (मूल और पूरक)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सब्सिडी पर व्यय की व्यवस्था करना (₹ 12.70 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतएव नकद भुगतान नहीं होगा।
- "कोयला वाले क्षेत्रों का अधिग्रहण" स्कीम के अन्तगर्त कोल इण्डिया (ख) लि. (सीआईएल) की विभिन्न सहायक कंपनियों के लिए अर्जित भूमि हेत् भूविस्थापितों की क्षतिपूर्ति के लिए व्यय व्यवस्था करना। सीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि सरकार के पास अग्रिम रूप में जमा कराई जाती है। बढ़ी हुई वस्लियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

meeting expenditure on subsidy under Tribal Sub Plan (a) (₹ 12.70 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(-)65.00

(-)65.00

meeting expenditure towards payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas". The compensation amount is deposited by CIL with Government in advance. Taking into account the enhanced recoveries this will not entail net cash outgo.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

, -			•	,		(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00				1.00
	स्वीकृत:		Voted:	4054.82		971.68		5026.50
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4055.87		971.68		5027.55
	भारित:		Charged:	1.03				1.03
	स्वीकृत:		Voted:	4054.84		971.68		5026.52
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाव	व निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षी व	के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant/Appropr	riation will be a	counted for	r under tl	ne following Ma	ijor Head	ds:
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत:	2407 -Plantations	Voted:	0.01	(कa)			0.01
३४५३ - विदेशी व्यापार और	भारितः	3453 - Foreign Trade and Export	Charged:			0.03	(खb)	0.03
निर्यात संवर्द्धन		Promotion						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(गc)			0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

जोड़ (पूरक)

(क) (i) (1)लघु किसान विकास योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.10 करोड़) (2) चाय बोर्ड के अंतर्गत ई-नीलामी और संबद्ध क्रियाकलापों सिहत चाय अधिनियम के विनियामक प्रावधान के क्रियान्वयन की योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)।

भारित:

स्वीकृत:

Total (Supplementary)

(ii) (1)सांख्यकीय और सूचना संबंधी सेवाओं और ई-गवर्नेंस की योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (2) निर्यात बंधु योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (3) कार्यालय/रिहायशी भवनों हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (4)रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) विदेश व्यापार द्वारा महानिदेशक प्रबंधित नकद प्रतिपूरक स्कीम के अन्तर्गत न्यायालय के फैसले के कारण होने वाले व्यय को पूरा करना। स्वीकृत भाग से अनुदान के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant/appropriation are required for:

0.02

0.02

...

Charged:

Voted:

(a) (i) (1) subsidies (₹ 0.10 crore) under Small Growers Development Scheme, and (2) Grants-in-aid General (₹ 0.10 crore) for the Scheme of Implementation of regulatory provision of Tea Act including e-auction and allied activities under Tea Board.

0.03

0.03

0.05

0.03

0.02

(ii) (1) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards the scheme of Statistical and Information Services and e-Governance, (2) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) towards Niryat Bandhu Scheme, (3) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Office/Residential Buildings, (4) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Training/Capacity Building under Rubber Board.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure arising out of court decree under Cash Compensatory Scheme administered by Directorate General of Foreign Trade. Taking into account the surrender from the voted section of the Grant, there will be no cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) (i) रत्न और आभूषण के अंतर्गत मुम्बई के (1) कर्न्वेशन सेन्टर (₹ 0.01 करोड़) (2) सामुदायिक सुविधा केन्द्र (₹ 0.01 करोड़)
 (3) जयपुर में रत्न कारोबार (₹ 0.01 करोड़)और (4)मुम्बई में रत्न और आभूषण पार्क (₹ 0.01 करोड़)हेतु पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
 - (ii) आभूषण क्षेत्र हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।
 - (iii) (1) उद्यम प्ँजी निधि हेतु पूंजी आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (2) जैवतुल्य/ जैवसमतुल्य अध्ययनों हेतु फार्माक्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (i) Grants for creation of Capital Assets for (1) Convention Centre in Mumbai(₹ 0.01 crore, (2) Common Facility Centre (₹ 0.01 crore), (3) Gem Business in Jaipur (₹ 0.01 crore) and (4) Gems and Jewellery Park in Mumbai (₹ 0.01 crore)under Gems and Jewellery Sector.
- (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for Jewellery Sector.
- (iii) (1) Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) for Venture Capital Fund, and (2)Grants-in-aid General for Biosimilar/Bioequivalent Studies (₹ 0.01 crore) under Pharma Sector.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1494.15		73.10		1567.25
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		•••		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1494.18		73.10		1567.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीष	र्षों के अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for a	under the fo	llowing M	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(खb)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
अन्य व्यय		Minerals						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वीतर क्षेत्र में प्रतिबद्ध देनदारी को निपटाने के लिए परिवहन सिब्सिड़ी के अंतर्गत ₹ 88.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) केंद्रीय विनिर्माण तकनीकी संस्थान को वेतन के लिए (₹ 0.34 करोड़)अतिरिक्त अनुदान-सहायता और राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए (₹ 1 करोड़) उपलब्ध कराना। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अतंर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ग) (i)हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध देनदारी को निपटाने के लिए परिवहन (c) रियायत (₹ 7.16 करोड़) (ii) जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी पैकेज (₹ 29.34 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक रकम की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of ₹ 88.25 crore under Transport
 Subsidy to settle the committed liability in North Eastern Region.

 As savings are available under the same section of the Grant, a
 token supplementary is sought.
- (b) providing additional 'Grants-in-aid Salaries' to Central Manufacturing Technology Institute (₹ 0.34 crore) and National Council for Cement and Building Material (₹ 1 crore). As savings are available under the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure under (i) Transport Subsidy (₹ 7.16 crore) to settle the committed liability in Himachal Pradesh (ii) 'Package for Special Category States for Jammu & Kashmir , Himachal Pradesh and Uttrakhand' (₹ 29.34 crore).As savings are available under the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(, ,	,	(करोड़ रुप-	ये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	14379.61	615.77		14995.38
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the					
पूरक अनुमान:		amount now required:					
	भारित:		Charged:	0.54	0.03		0.57
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14380.26	615.80		14996.06
	भारित:		Charged:	0.64	0.03		0.67
	स्वीकृत:		Voted:	14379.62	615.77		14995.39
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिर	प्ताब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी वे	⁵ अंतर्गत दिखाया जायेग	Γ:	
		II. This Supplementary Grant/Appro	priation will be a	ccounted for	under the following Ma	ajor Hea	ds:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:		0.54	(कa)	0.54
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			0.55		0.55
	भारित:		Charged:		0.54		0.54
	स्वीकृत:		Voted:		0.01		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	भारितः	5201 - Capital Outlay on Postal	Charged:	0.03	(गc)		0.03
परिव्यय		Services					
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.03	0.55		0.58
	भारितः		Charged:	0.03	0.54		0.57

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सर्वोत्तम न्यायलय के आदेशों से आए ₹ 0.19 करोड़ और न्यायालय आदेशों के अंतर्गत भनों के भुगतान के लिए ₹ 0.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि समकक्ष राशि अनुदान के स्वीकृत भाग से सरेण्डर जाएगी।

स्वीकृत:

- (ख) कम्प्यूट्स के वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए 23 करोड़ के भुगतान व्यय की पूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के समान भाग में बचतें उपलब्ध है, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) योट्टकरा, पलक्कड, केरल में डाकघर निर्माण के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान पर अधीनस्थ न्यायाधीश (अतिरिक्त), पलक्कड, केरल द्वारा दिए गए आदेश से आए 0.03 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचनें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

Voted:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 0.19 crore arising out of Supreme Court Orders and ₹ 0.35 crore for payment of wages under court orders. This will not entail cash outgo as equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant.

0.01

0.01

- (b) meeting expenditure towards payment of Annual Maintenance Charges (AMC) of computers for ₹ 23 crore. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure of ₹ 0.03 crore arising out of the orders given by Subordinate Judge (Additional), Pallakkad, Kerala for payment of compensation for land acquisition on construction of Post Office at Thottakara, Palakkad, Kerala. As savings are available within the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

		•		,			
					<i>(</i> करोड़ रुपये	Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	11587.38	1506.66		13094.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	87.65	•••		87.65
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11675.04	1506.66		13181.70
	भारित:		Charged:	87.65			87.65
	स्वीकृत:		Voted:	11587.39	1506.66		13094.05
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब र्ा	नेम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अ <u>ं</u>	तर्गत दिखाया जाये	गा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriat	ion will be acc	counted for un	der the following N	∕lajor He	ads:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3451 - सचिवालय- आर्थिक	भारित:	3451 - Secretariat-Economic Services	Charged:		87.65	(कa)	87.65
सेवाएं							
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	87.66		87.66
	भारित:		Charged:		87.65		87.65
	स्वीकृत:		Voted:	•••	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जुर्माना राशि की वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु भारतीय आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹ 87.65 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु। क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए ₹ 87.65 करोड़ के तकनीकि पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) मैसर्स आई.टी.आई लिमिटेड को इसके कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए ₹ 130 करोड़ की तत्काल वितीय सहायता उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) recoupment of advance of ₹ 87.65 crore sanctioned from the Contingency Fund of India towards payment of interest on the refund of penalty to the telecom service providers arising out of the judgement by Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (TDSAT). As the savings are available in the voted section of the grant, technical supplementary for ₹ 87.65 crore is sought.
- (b) providing immediate financial support of ₹ 130 crore to M/s Indian Telephone Industries Ltd. for payment of salary to its employees. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 604.39 19.70 624.09 इस समय आवश्यक Supplementary Estimate of the amount रकम का पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 10.01 10.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 614.40 19.70 634.10 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना-भिन्न जोड आयोजना Plan Non-Plan Total राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3456 - नागरिक आपूर्ति स्वीकृत: 3456 -Civil Supplies Voted: 0.01 0.01 (कa) 3601 - राज्य सरकारों स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Voted: 10.00 (खb) 10.00 को सहायता Governments जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 10.01 10.01 टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्य भाग **REVENUE SECTION** (-) 10.003601 - राज्य सरकारों 3601 - Grants-in-aid to State (-) 10.00को सहायता Governments

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्याज की बिक्री हेतु बाजार में हस्तक्षेप करने से हुए नुकसानों की प्रतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ (₹ 0.44 करोड़) को तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिषद लि. (₹ 0.08 करोड़) का भुगतान। चूंिक बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

(ख) उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली निधियों के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष के अन्तर्गत प्रावधान में बढ़ोत्तरी। वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

- (a) payment to National Co-operative Consumer's Federation as Grants-in-aid General (₹ 0.44 crore) and National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. as Grants-in-aid General (₹ 0.08 crore) for reimbursement of losses for intervening in the market for sale of onion. As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.
- b) augmentation of provision under Consumer Welfare Fund to be released to the State Governments for Consumer Welfare programmes. Taking into account the recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

,	p92				,			राजस्व Revenue		(करोड़ रुपये पूंजी Capital	Rupees	s in Crore) जोड़ Total
।. मल	अनुदान:			I. ORIGINAL GRANT:				rtovondo		Cupital		rotai
•	3.		स्वीकृत:			,	Voted:	1409.00		38.00		1447.00
इस स	मय आवः	श्यक रकम का		Supplementary Estimate of the	e amount							
पूरक .	अनुमान:			now required:								
			स्वीकृत:			,	Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और	पूरक)		Total (Original plus Supplementary	<i>'</i>)			1409.03		38.00		1447.03
				II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखि	ात म्	नुख्य शीष	र्भों के अंतर्गत	न दिखाया	जायेगाः		
				II. This Supplementary Grant v	will be acc	coun	nted for u		ollowing N			
								आयोजना 		आयोजना-		जोड़
								Plan		भिन्न Non Plan		Total
<i>राजस्य</i> मुख्य	<i>व भाग</i> शीर्ष			REVENUE SECTION MAJOR HEAD						Non-Plan		
-		र संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture		,	Voted:	0.01	(কa)	0.01	(खb)	0.02
3601	- राज्य स	रकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State		,	Voted:	0.01	(गc)			0.01
सहायत	ता			Governments								
जोड़ ((पूरक)		स्वीकृत:	Total (Supplementary)		,	Voted:	0.02		0.01		0.03
		- 0 - 00 - 1	>0-	ч.								
		न निम्नलिखित हे	-				-	grants are	•			
(क)	(i)			य (₹ 17.50 करोड़) (2) स्वामी नालगिरह उत्सव (₹ 20.00 करोड़)	(a)	(i)		nts-in-aid-G		for:(1)Cent		
		हेतु सामान्य सह								tions (₹ 17.5 Birth Annive		
		ed thousa the	اعراا عاميرا	11				ekananda (र			isaly (oi Swaiiii
	(ii)	केन्द्रीय हिमाल	यी संस्कति	अध्ययन संस्थान हेतु पूंजी		(ii)		•		apital assets fo	r Centr	al Institute
	(,			प्रान (₹ 0.02 करोड़)।		(,				udies (₹ 0.02 c		ar motitato
				में उपलब्ध बचतों को ध्यान में				-		savings avail	-	the same
		रखते हुए एक पू						_		oken suppleme		
(ख)	(1)	•		दिल्ली हेतु वेतन सहायता-अनुदान	(b)	(1)				or Sangeet Nat	-	_
		(₹ 0.63 करोड़)।		3			Delh	ni (₹ 0.63 cı	ore).	_		
	(2)	साहित्य अकादम	नी, नई दिल	ली हेतु वेतन सहायता- अनुदान		(2)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries fo	or Sahitya Aka	ademi, N	New Delhi
		(₹ 1.25 करोड़)।					(₹ 1	.25 crore).				
	(3)	ललित कला अव	गदमी, नई ी	देल्ली हेतु वेतन सहायता-अनुदान		(3)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries fo	or Lalit Kala Ak	ademi, l	New Delhi
		(₹ 1.50 करोड़)।					(₹ 1	.50 crore)				
	(4)	केन्द्रीय उच्चतर	तिब्बती :	भध्ययन संस्थान, वाराणासी हेतु		(4)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries 1	for Central In	stitute	of Higher
		वेतन सहायता-अ	ानुदान (₹ 3.	80 करोड़)।			Tieb	otan Studies	s, Varana	si (₹ 3.80 crore))	
	(5)	केन्द्रीय बौद्ध 3	मध्ययन संर	ऱ्थान, लेह हेतु वेतन सहायता-		(5)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries f	or Central Ins	titute of	Buddhist
		अनुदान (₹ 1.57	करोड़)।				Stud	dies, Leh (₹	1.57 cro	re).		
	(6)	एशियाई समाज	ा, कोलकात	ा हेतु वेतन सहायता-अनुदान		(6)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries f	or The Asiatic	Society	y, Kolkata
		(₹ 2.80 करोड़)।					(₹ 2	.80 crore).				
	(7)	_		मेति हेतु वेतन सहायता-अनुदान		(7)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries f	or Gandhi Sm	nriti and	Darshan
		(₹ 0.39 करोड़)।					San	niti (₹ 0.39 d	crore).			
	(8)			्न-सांग मेमोरियल हाल हेतु वेतन `		(8)	Gra	nts-in-aid-S	Salaries f	or Nav Nalan	da Mah	avira and
		सहायता-अनुदान	(₹ 0.60 क	रोड़)।			Hue	n T Sang N	/lemorial	Hall (₹ 0.60 cro	ore).	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		अनुदाना का पूरक माग, 2012-2013 SUPPLE	IVIENIA	AKY L	DEMIANDS FOR GRANTS
	(9)	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान हेतु	(!	9)	Grants-in-aid-Salaries for Maulana Abul Kalam Azad
		वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।			Institute of Asian Studies (₹ 0.30 crore).
	(10)	कलाक्षेत्र, चेन्नई हेतु वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.39 करोड़)।	(10)	Grants-in-aid-Salaries for Kalakshetra, Chennai
					(₹ 0.39 crore)
	(11)	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय हेतु वेतन सहायता- अनुदान	(11)	Grants-in-aid-Salaries for Delhi Public Library, delhi
		(₹ 1.35 करोड़)।			(₹ 1.35 crore).
	(12)	राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता हेतु वेतन	(12)	Grants-in-aid-Salaries for Raja Rammohun Roy Library
		सहायता-अनुदान (₹ 0.06 करोड़)।			Foundation, Kolkata (₹ 0.06 crore).
	(13)	खुदा बक्श ऑरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना हेतु वेतन	(13)	Grants-in-aid-Salaries for Khuda Baksh Oriental Public
		सहायता-अनुदान (₹ 0.60 करोड़)।			Library, Patna (₹ 0.60 crore).
	(14)	रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर हेतु वेतन सहायता- अनुदान	(14)	Grants-in-aid-Salaries for Rampur Raja Library, Rampur
		(₹ 0.30 करोड़)।			(₹ 0.30 crore).
	(15)	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद हेतु वेतन सहायता- अनुदान	(15)	Grants-in-aid-Salaries for Salarjung Museum,
		(₹ 3.77 करोड़)।			Hyderabad (₹ 3.77 crore).
	(16)	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता हेतु वेतन सहायता-	(16)	Grants-in-aid-Salaries for Victoria Memorial Hall,
		अनुदान (₹ 0.91 करोड़)।			Kolkata (₹ 0.91 crore).
	(17)	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं लाइब्रेरी, नई दिल्ली हेतु वेतन	(17)	Grants-in-aid-Salaries for Nehru Memorial Museum and
		सहायता-अनुदान (₹ 1.94 करोड़)।			Library, New Delhi (₹ 1.94 crore).
	(18)	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता हेतु वेतन सहायता- अनुदान	(18)	Grants-in-aid-Salaries for Indian Museum, Kolkata
		(₹ 2.48 करोड़)।			(₹ 2.48 crore).
	(19)	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद हेतु वेतन सहायता- अनुदान	(19)	Grants-in-aid-Salaries for National Council of Science
		(₹ 3.90 करोड़)।			Museums (₹ 3.90 crore).
		इस अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में			Taking into account the savings available in the same
		रखते हुए, पूरक संकेतक मांगा गया है।			section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i)	गुरू देव रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वीं जन्म वार्षिकोत्सव हेतु	(c) (i	i)	Grants-in-aid General for Celebration of 150th Birth
		वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.22 करोड़)।			Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore
					(₹ 0.22 crore).
	(ii)	स्वामी विवेकान्द के 150वीं जन्मवार्षिकोत्सव हेतु वेतन	(i	ii)	Grants-in-aid General for Celebration of 150th Birth
		सहायता-अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।			Anniversary of Swami Vivekanand (₹ 0.50 crore).
		बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा			Taking into account the savings available in the same
		गया है।			section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rup</i>	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.26		0.26
	स्वीकृत:		Voted:	14723.43	1874.55	16597.98
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14723.70	1874.55	16598.25
	भारितः		Charged:	0.26		0.26
	स्वीकृत:		Voted:	14723.44	1874.55	16597.99
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	er the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिज (आईडीएसए) को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना(₹ 6.99 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, अतएवं सांकेतिक अनुदान अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

providing 'Grants-in-aid General' to Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (₹ 6.99 crore). As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	6.20		6.20
	स्वीकृत:		Voted:	12741.82		12741.82
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	7.00		7.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		12755.02		12755.02
	भारित:		Charged:	13.20		13.20
	स्वीकृत:		Voted:	12741.82		12741.82
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नर्ला	खित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation w	ill be accounted f	or under the fo	llowing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	भारितः	2077 - Defence Services - Navy	Charged:		7.00	7.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण की विभिन्न शाखाओं द्वारा दिए गए निर्णयों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिक शेष से संस्वीकृत ₹ 7 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति। चूंकि बचतें अनुदान के उसी माग में उपलब्ध हैं। तकनीकी पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary appropriation is required for:

recoupment of an advance of ₹ 7 crore sanctioned from the Contingency Fund of India towards meeting additional expenditure arising out of judgements made by various branches of Central Administrative Tribunal. As the savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	2.32		2.32
	स्वीकृत:		Voted:	18322.87	•••	18322.87
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	3.00		3.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		18328.19	•••	18328.19
	भारित:		Charged:	5.32		5.32
	स्वीकृत:		Voted:	18322.87	•••	18322.87
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिरि	वेत मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation wil	l be accounted f	or under the fo	llowing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारितः	2078 - Defence Services - Air Force	Charged:		3.00	3.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों के तहत ₹ 3 करोड़ का भुगतान करना। अनुदान के पारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखना, तकनीकी पूरक अनुदान अपेक्षित है। The supplementary appropriation is required for:

making payment of $\mathfrak T$ 3 crore towards Court Orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant, technical supplementary is sought.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in C			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:		51.65	51.65	
	स्वीकृत:		Voted:		79526.98	79526.98	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			79578.64	79578.64	
	भारित:		Charged:		51.65	51.65	
	स्वीकृत:		Voted:		79526.99	79526.99	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	ात मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया	जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for under	the following l	Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	4076 - Capital Outlay on Defence	Voted:		0.01	0.01	
परिव्यय		Services					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारी तथा मझोले वाहनों के लिए ₹ 101.50 करोड़ और पूर्वीत्तर परियोजनाओं के लिए ₹ 10 करोड़ उपलब्ध कराना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान उपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing ₹ 101.50 crore for 'Heavy & Medium Vehicles' and ₹ 10 crore for 'North Eastern Projects'. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1464.45		207.84	1672.29
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1464.55		207.86	1672.41
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1464.45		207.86	1672.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी व	के अंतर्गत दि	खाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	•				
		,		आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5425 - अन्य वैज्ञानिक और	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी		Scientific and Environmental Research					
परिव्यय							
5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजी	स्वीकृत:	5455 - Capital Outlay on Meteorology	Voted:	0.01	(खb)		0.01
परिव्यय	-	-					
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिक विस्तार' कार्यक्रम के तहत भू-विज्ञान मंत्रालय के मुख्य भवन से जुड़े प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए संविदापरक भुगतान करना (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) 'पर्यावरणिक प्रक्रिया और प्रतिरुपण सेवाएं' कार्यक्रम के तहत नैशनल सेंटर फार मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग भवन के निर्माण से जुडे प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड को संविदात्मक भूगतान करना (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grants are required for:

(a) making contractual payment for the major works related to Headquarters building of Ministry of Earth Sciences under the programme 'Research Education and Training Outreach' (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

making contractual payment to National Buildings Construction Corporation Limited (NBCC) for the major works related to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) building's construction under the programme 'Atmospheric Process and Modeling Services' (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> c	तरोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3012.28		70.13	3082.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमानः		Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3012.31		70.14	3082.45
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीषं	िके अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for u		lowing M		
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non Fian	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	म्बीक्ट्र		\/-td.	0.04	(-)		0.04
	स्वीकृतः	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(कa)	***	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृतः	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03			0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other Scientific	Voted:	0.01	(घd)		0.01
अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय		and Environmental Research					
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i)निम्न के लिए सामान्य सहायतानुदान (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई) (₹ 23 करोड़), (2) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (₹ 2 करोड़), तथा (ii) आईसीएफआरई को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 7 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) पूर्वीतर क्षेत्र के लाभार्थ व्यय के वर्धन हेतु आईसीएफआरई को सामान्य सहायतानुदान (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) निम्न के लिए सामान्य सहायतानुदान (i) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 4 करोड़),(ii) गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 2.50 करोड़),(iii) पर्यावरण प्राधिकरण तथा पर्यावरण आयोग एवं अधिकरण की स्थापना (₹ 0.45 करोड़), (iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (₹ 3 करोड़), तथा जैव-विविधता संरक्षण (₹ 28.06 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास अभिलेखागार के तहत सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास अभिलेखागार के लिए भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय की पूर्ति (₹ 4 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक

सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (a) (i) Grants-in-aid General to (1) Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) (₹ 23 crore), (2) Wildlife Institute of India (₹ 2 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets to ICFRE (₹ 7 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General to ICFRE (₹ 1.50 crore) for augmentation of expenditure for the benefit of North Eastern Region.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General to (i) Centres of Excellence (₹ 4 crore), (ii) Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 2.50 crore), (iii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (₹ 0.45 crore), (iv) National Natural Resource Management System (₹ 3 crore), and (v) Bio-diversity Conservation (₹ 28.06 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting capital expenditure towards construction of Building for Regional Museum of Natural History at Sawai Madhopur (₹ 4 crore) under National Museum of Natural History.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> करोड़ रुपये	Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारितः		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	7623.94	2038.00		9661.94
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	365.00		365.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7623.98	2403.00		10026.98
	भारित:		Charged:	0.03			0.03
	स्वीकृत:		Voted:	7623.95	2403.00		10026.95
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षी वे	h अंतर्गत दिखा	या जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acc					
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
7605 - विदेशी सरकारों को	स्वीकृत:	7605 - Advances to Foreign	Voted:		365.00	(खb)	365.00
अग्रिम		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		365.01		365.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वीवीआईपी यात्रा हेतु एयर इंडिया को अनुरक्षण लागत (₹ 73.73 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में बचतों को हिसाब में लेते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) भुटान की शाही सरकार को वैकल्पिक ऋण सुविधा (₹ 400 करोड़) (b) देना।
 इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (Rs.35 करोड़) को हिसाब में लेते हुए और अनुदान के राजस्व भाग में बचतों (Rs. 365 करोड़) के अभ्यर्पण से कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional funds towards maintenance cost (₹ 73.73 crore)to Air India for VVIP travel.
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
-) extending Standby Credit Facility (₹ 400 crore)to Royal Government of Bhutan.

Taking into account the savings available (₹ 35 crore) in Capital Section of the Grant and surrender of savings (₹ 365 crore) in Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				राजस्व Revenue	<i>(</i> करोड़ रुपये पूंजी Capital	Rupe	es in Crore) जोड़ Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	9081.35	58961.08		68042.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	118.35	0.04		118.39
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9199.70	58961.12		68160.82
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिर	वाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for ur	nder the follow आयोजना Plan	ing Major Heads आयोजना- भिन्न Non-Plan	:	जोड़ Total
<i>राजस्य भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:	•••	6.60	(कa)	6.60
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		4.49	(खb)	4.49
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:	•••	3.89	(गc)	3.89
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	•••	91.72	(ਬd)	91.72
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		11.65	(ਭ e)	11.65
तकनीकी और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	•••	118.35		118.35
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	Voted:		0.01	(चf)	0.01
र् ^{रा नारण्य} । 5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General Financial	Voted:		0.01	(छg)	0.01
व्यापारिक संस्थानों में निवेश	रवाकुरा.	and Trading Institutions	voteu.		0.01	(Sg)	0.01
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	5466 - Investments in International	Voted:	•••	0.01	(जh)	0.01
संस्थानों में निवेश		Financial Institutions					
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	7475 - Loans for Other General	Voted:		0.01	(झi)	0.01
सेवाओं के लिए ऋण		Economic Services					
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	•••	0.04		0.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		118.39		118.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन और मजदूरी, अन्य प्रशासनिक व्यय और व्यावसायिक सेवाओं पर ₹ 7.15 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.55 करोड़ की बचत को देखते हुए और चूँिक अनुदान के पूँजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 14 वित्त आयोग के लिए कार्यालय किराए पर लेने के संबंध में किराया प्रभार और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) संबंधी बकाया किराए का भुगतान। चूँकि अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों का अभ्यर्पण किया जाएगा अतः इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) additional requirement of ₹ 7.15 crore on account of Salary and wages, Other Administrative Expenses and Professional Services. After taking into account the saving of ₹ 0.55 crore in the same section of the Grant and as equivalent saving is available in the capital section of the grant which will be surrendered, this will not involve any additional cash outgo.
- payment of rental charges in respect of hiring accommodation for the 14th Finance Commission and for revision of rent and payment of arrears of rent in respect of Securities Appellate Tribunal (SAT). As equivalent savings are available in the capital section of the Grant which will be surrendered, this will not involve any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(f)

(h)

(i)

- (ग) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को भारत सरकार के अंशदान हेतु ₹ 4.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.11 करोड़ की बचतों और पूँजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों (₹ 3.89 करोड़) के अभ्यर्पण को देखते हुए इस ट्यय में नकद ट्यय नहीं होगा।
- (घ) (i) 1981 में यमन सरकार को प्रदत्त ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देय राशि (₹ 2.07 करोड़) की माफी। चूँिक इस व्यय की पूर्ति समतुल्य राशि की प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान (एनसीएईआर) परिषद (₹ 15.00 करोड़) और राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, इटानगर (₹ 10.00 करोड़) को ₹ 25.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 0.35 करोड़) और पूंजी भाग के तहत उपलब्ध समतुल्य बचतों (₹ 24.65 करोड़) के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (iii) ब्याज समकरण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को अतिरिक्त भुगतान (₹ 65.00 करोड़)। चूँिक अनुदान के पूँजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) (i) एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन करने के संबंध में अतिरिक्त व्यय (₹ 7.62 करोड़) की पूर्ति।
 - (ii) वैश्विक पर्यावरण सुविधा केन्द्र (जीईएफ) के संबंध में अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 1.25 करोड़), कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण और दिक्षण एशिया को तकनीकी सहायता (₹ 0.61 करोड़), और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) (₹ 2.17 करोड़)। चूँिक अनुदान के पूँजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः उपर्युक्त व्यय में कोई और नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) बजट प्रेस के लिए मशीनरी की खरीद पर ₹ 0.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूँिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अत सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (छ) नव सृजित नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कम्पनी लिमिडटेड (एनएफएचसीएल) में प्रदत्त पूँजी के संबंध में ₹ 1.00 करोड़ प्रदान करेगा। चूँिक अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अत सांकेतिक प्रक मांग अपेक्षित है।
- (ज) (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मूल्य अनुरक्षण (₹ 4005.43 करोड़) के लिए भुगतान करना। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे निर्गत की जाने वाली प्रतिभूतियों के जिए आवितयों द्वारा समतुल्य किया जाएगा।
 - (ii) अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक; एशियाई विकास बैंक; और अफ्रीकी विकास बैंक के लिए भारत सरकार के अभिदान पर विनिमय दर भिन्नतर नगदी में (₹ 29.03 करोड़) और प्रतिभूतियों में ₹ 20.44 करोड़ को पूरा करना। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अत सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।
- (झ) नयी उधार व्यवस्थाएं (₹ 11294.60 करोड़) के अन्तर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण मुहैया कराना। चूँिक अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

- meeting additional requirement of ₹ 4.00 crore for Government of India (GoI) Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD). Taking into consideration savings of ₹ 0.11 crore available in the same section of the grant and surrender of equivalent savings available under capital section (₹ 3.89 crore), the expenditure will not entail cash outgo.
- (i) waiver of outstanding dues (₹ 2.07 crore) in respect of Line of Credit extended to Government of Yemen in 1981. As this expenditure will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.
 - (ii) providing ₹ 25.00 crore, Grant-in-aid-General to National Council for Applied Economic Research (NCAER) (₹ 15.00 crore) and Rajiv Gandhi University, Department of Economics, Itanagar (₹ 10.00 crore). After taking into consideration savings of (₹ 0.35 crore) in the same section of the grant and surrender of equivalent savings available under capital section (₹ 24.65 crore), this will not entail cash outgo.
 - (iii) additional payment to EXIM Bank of India, (₹ 65.00 crore) towards Interest Equalization Support. As equivalent savings are available in the capital section of the grant, this will not entail cash outgo.
- (i) meeting additional expenditure (₹ 7.62 crore) towards organizing 46th Annual General Meeting (AGM) of Asian Development Bank (ADB).
 - (ii) meeting additional expenditure for contribution towards Global Environment Facility(GEF) (₹ 1.25 crore); Technical Aid to South and South East Asia under the Colombo Plan (₹ 0.61 crore); and United Nations Development Programme (UNDP) (₹ 2.17 crore). As savings are available in the capital section of the grant, the above expenditure will not entail any further cash outgo.
- meeting additional expenditure of ₹ 0.91 crore on purchase of Machinery for Budget Press. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (g) providing ₹ 1.00 crore towards paid up capital in the newly created National Financial Holdings Company Limited (NFHCL). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) making payment for Maintenance of Value (MoV) (₹ 4005.43 crore) to International Monetary Fund (IMF). There will be no cash outgo as this would be matched by receipts through securities to be issued.
 - ii) meeting exchange rate variation (₹ 29.03 crore in Cash and ₹ 20.44 crore in Securities) on Government of India (GoI) Subscription to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); Asian Development Bank (ADB); and African Development Bank (AfDB). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought for the above items.
 - providing of loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow (NAB) (₹ 11294.60 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				राजस्व Revenue	<i>(</i> करोड़ रुपये पूंजी Capital	Rupe	es in Crore) जोड़ Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	8535.23	15902.01		24437.24
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8535.25	15902.02		24437.27
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	न मुख्य शीप	र्वों के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the fol आयोजना Plan	lowing Major Heads: आयोजना- ਮਿੰਟਰ Non-Plan		जोड़ Total
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:		0.01	(खb)	0.01
अन्य व्यय		Minerals					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	•••	0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों	स्वीकृत:	4416 - Investments in Agricultural	Voted:	0.01	(गс)		0.01
में निवेश		Financial Institutions					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.02		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) जनश्री बीमा योजना के लिए एल आई सी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कोष बढ़ाने के लिए ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) (i) संट्रेस्ड एसेट्स स्टैबलाइजेशन फण्ड (एस ए एस एफ) को जारी प्रतिभूतियों के विमोचन पर ₹ 300.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - (ii) आवास ऋणों पर 1% ब्याज सबवेंसन के संबंध में सब्सिडी भुगतान हेतु ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) (i) नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (नावार्ड) की शेयर पूंजी को सब्सक्राइब करने तथा इसके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए ₹ 500 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
 - (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के पुन: पूंजीकरण (रिकैपिटलाइजेशन) हेतु सरकारी शेयर अंशदान हेतु ₹ 335 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतएव पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (a) meeting additional requirement of ₹ 25 crore to augment the Social Security Fund maintained by LIC for Janashree Bima Yojana. As savings are available within in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional expenditure of ₹ 300.00 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF).
 - (ii) meeting additional requirement of ₹ 100 crore for payment of subsidy in respect of 1% interest subvention on housing loans. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) meeting additional requirement of ₹ 500 crore to subscribe to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)to augment its capital base.
 - (ii) meeting additional requirement of ₹ 335 crore towards contribution of Government's share for recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						Rupees in Crore)
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		Nevende	Capital	Total
,, o _x ,, o _x , o	भारित:	Ordona E Grauti.	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृतः		Voted:	1167.03	 11.54	1178.57
इस समय आवश्यक रकम का	(417/11.	Supplementary Estimate of the amount	voled.	1107.03	11.54	1170.57
•						
पूरक अनुमान:	-	now required:		0.00	0.04	0.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	•	Total (Original plus Supplementary)		1167.07	11.55	1178.62
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1167.05	11.55	1178.60
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखा	या जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the followin	g Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत:	2047 -Other Fiscal Services	Voted:		0.01	(কa) 0.01
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत:	2875 -Other Industries	Voted:		0.01	(ख b) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		0.02	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं	स्वीकृत:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal	Voted:		0.01	(गc) 0.01
पर पूंजी परिव्यय		Services				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.03	0.03

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएम) के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) को (₹ 1.00 करोड़) की सहायता अनुदान प्रदान करना।
 - (ii) कोर्पस निधि तथा वेतन (₹ 10.15 करोड़); प्रवंतन निदेशालय के रख-रखाव व्यय (₹ 0.66 करोड़), सीईएसटीएटी (₹ 0.05 करोड़) तथा अंतर्राष्ट्रीय अंशदान (₹ 0.22 करोड़) के लिए राष्ट्रीय जनवित्त नीति संस्थान को सहायता अनुदान प्रदान करना। चूंिक अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) (ii) कोडीन फास्फेट के आयात तथा अलसरों की खरीद(₹ 70.30 (b) करोड़)के लिए, अफीम की लागत अफीम फैक्ट्रियों से अलकालोमद कार्यों (₹ 9.64 करोड़) तथा व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.78 करोड़) को अंतरित। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएम) के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) को ₹ 2.45 करोड़ की इक्विटी भागीदारी प्रदान करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

- (i) providing Grants-in-aid (₹ 1.00 crore) to Special Purpose Vehicle (SPV) for Goods & Service Tax Network (GSTN).
 - (ii) providing Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance & Policy towards Corpus Fund and Salaries (₹ 10.15 crore); maintenance expenditure of Enforcement Directorate (₹ 0.66 crore; CESTAT (₹ 0.05 crore) and International Contribution (₹ 0.22 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- o) for import of Codeine Phosphate and purchase of other stores (₹ 70.30 crore); cost of opium transferred from Opium Factories to Alkaloid Works (₹ 9.64 crore) and Professional Services (₹ 0.78 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing Equity participation of ₹ 2.45 crore to the Special Purpose Vehicle for Goods & Service Tax Network (GSTN). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(occ page 12 or and 2 ormania			.0.2 20.0	,	(क्रगेद उपरो	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड
				Revenue	ત્≎⊓ Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		Novellue	Capital	Total
1. XII 3194101.	स्वीकृत:	I. ONGINAL GIVANI.	\/atadi	3071.18	809.28	3880.46
	स्पापृतः		Voted:	3071.18	809.28	3880.46
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	230.32	0.01	230.33
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3301.50	809.29	4110.79
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for un	der the followir	ng Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2020 - आय और व्यय पर करों	स्वीकृत:	2020 -Collection of Taxes on Income and	Voted:		230.32	(क a) 230.32
का संग्रहण		Expenditure				
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	(खb) 0.01
पूंजी परिव्यय						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		230.33	230.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत आयकर विभाग की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति: वेतन (₹ 78.42 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 4.00 करोड़), कार्यालय व्यय-सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 175.00 करोड़) और विभागीय कैंटीन (₹ 0.42 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी भाग के तहत ₹ 230.32 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) फाइनांस सिटी, बंगलुरू में कार्यालय भवन के लिए भूमि की (b) खरीद हेतु प्रावधान करना (₹ 7.50 करोड़)।
 - (ii) भोपाल में पूर्व निर्मित कार्यालय स्पेस की खरीद (₹ 50 करोड़)। चूँिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- meeting additional establishment related expenditure of Income Tax Department under various object heads viz., salaries (₹ 78.42 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 4.00 crore), Office expenses-Information Technology (₹ 175.00 crore)and Departmental Canteen (₹ 0.42 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrendering of savings of ₹ 230.32 crore under Capital Section, the expenditure will not entail cash outgo.
- (i) making provision for purchase of Land for office building at Finance City, Bengaluru (₹ 7.50 crore)
 - (ii) purchase of Ready-Built office space at Bhopal (₹ 50 crore). As savings are available in the same section of grant, a token supplementary is sought.

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये पूंजी Capital	Rupees in Crore) जोड़ Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.50		0.50		
	स्वीकृत:		Voted:	3481.38	119.20	3600.58		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	53.90	0.01	53.91		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3535.78	119.21	3654.99		
	भारित:		Charged:	0.50		0.50		
	स्वीकृत:		Voted:	3535.28	119.21	3654.49		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	-					
		II. This Supplementary Grant will be acco	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न	जोड़ Tota l		
				i idii	Non-Plan	Total		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:	•••	3.56	(कa) 3.56		
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत:	2038 -Union Excise Duties	Voted:		50.34	(खb) 50.34		
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		53.90	53.90		
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	(गс) 0.01		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		53.91	53.91		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु, शीर्षों के तहत सीमाशुल्क कार्यालयों की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की शर्ते : वेतन (₹ 16.76 करोड़ रुपए) मजद्री (₹ 0.58 करोड़ रुपए) और घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.31 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी माग (₹ 3.56 करोड़) के अन्तर्गत बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित विभिन्न वस्तु शीर्ष के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुन्क कार्यालयों की स्थापना। संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति : वेतन (₹ 43.24 करोड़ रुपए), मजदूरी (₹ 1.07 करोड़ रुपए), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.79 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 28.00 करोड़ रुपए), किराया दरें एवं कर (₹ 5.00 करोड़ रुपए) और प्रकाशन (₹ 0.20 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और पूंजी भाग में ₹ 50.34 करोड़ रुपए की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) बंगलुरु में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) के जिरए (c) नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स (एनएसीईएन) के नए कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 3.50 करोड़ रुपए)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (a) Meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices under various object heads viz., salaries (₹ 16.76 crore), Wages (₹ 0.58 crore) and Domestic Travel Expenses (₹ 0.31 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings under Capital Section (₹ 3.56 crore), the above expenditure will not entail cash outgo.
- D) Meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices under various object heads viz., salaries (₹ 43.24 crore), Wages (₹ 1.07 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.79 crore), Office expenses-Information Technology (₹ 28.00 crore), Rent, Rates & Taxes (₹ 5.00 crore) and Publications (₹ 0.20 crore). After taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings of ₹ 50.34 crore under Capital Section, the above expenditure will not entail cash outgo.
- Meeting additional expenditure (₹ 3.50 crore) for construction of a new office complex for National Academy of Customs Excise & Narcotics (NACEN) through National Building Construction Corporation Limited (NBCC) at Bengalore. As saving is available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> क	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	670.54		•••	670.54		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount							
अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		670.56			670.56		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	।. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः						
		II. This Supplementary Grant will be accou	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(कa)		0.01		
भाण्डागारण									
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02		

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 50 करोड़)।
 - (ii) मेगा फूड पार्कों की अवसंरचना विकास योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (ख) (i) खाय प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।
 - (ii) मेगा फूड पार्कों की अवसंरचना विकास योजना को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.38 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पुरक माँगा गया है। The supplementary grants are required for:

- (i) providing additional Grants-in-aid- General to the scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization of Food Processing Industries (₹ 50.00 crore).
 - ii) providing additional Grants-in-aid- General to the Scheme of Infrastructure Development for Mega Food Parks (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (i) providing additional Grants-in-aid General to the Scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization of Food Processing Industries (₹ 10.00 crore).
- (ii) providing additional Grants-in-aid- General to the Scheme for Infrastructure Development of Mega Food Parks (₹ 2.38 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(See page 40 or the	Demanus	ior Grants of Central Government to	i ille year .	2012-2013)			` -	
							पर्य <i>Rupe</i>	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	30681.98		2298.31		32980.29
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the						
रकम का पूरक		amount now required:						
अनुमान:								
	स्वीकृत:		Voted:	3.75				3.75
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		30685.73		2298.31		32984.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्ष	िं के अंतर्गत ि	देखाया जाये	π:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for u	nder the follo	wing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	3.70	(खb)	3.71
जन स्वास्थ्य								
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ਝe)			0.01
3606 - सहायता सामग्री	स्वीकृत:	3606 -Aid Materials and Equipment	Voted:			0.01	(चf)	0.01
और उपस्कर								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		3.72		3.75
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर	दिए गए अन्	मानों में नीचे	दर्शाई गयी	वसूलियों को शा	मेल नहीं	किया गया है
		जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया	जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requi	rements do n	ot take into acc	ount the reco	veries shown be	low, which	are adjusted

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्य भाग REVENUE SECTION

3606 - सहायता सामग्री 3606 - Aid Materials and Equipment ... (-) 3.70

और उपस्कर

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) निम्नलिखित संस्थानां/कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इस्टीटयूट, दिल्ली (₹ 0.40 करोड़) 2. ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसुर (₹ 5.11 करोड़) 3. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 20.50 करोड़) 4. पास्चर इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, कुलूर (₹ 6.00 करोड़) 5. नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ बायोलोजिकल्स, नोएडा (₹ 6.65 करोड़) 6. राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 44.50 करोड़) 7. रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेन्टर, जिपमर, पुडुचेरी (₹ 21.00 करोड़) 8. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 8.32 करोड़) 9. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 'राष्ट्रीय ड्रग नशामुक्ति कार्यक्रम (₹ 1.31 करोड़) 10. चिकित्सा शिक्षा एवं

(i) Grants-in-aid-General to the following Institutions/
Programmes to meet the additional expenditure due to
upward revision of tariffs of water, electricity, and hike in
prices of consumables, reagents, etc.: 1.Vallabh Bhai
Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.40 crore) 2.All India
Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 5.11 crore)
3.Food Safety & Standard Authority of India (₹ 20.50
crore) 4.Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 6.00 crore)
5.National Institute of Biologicals, Noida (₹ 6.65 crore)
6.National T.B. Control Programme (₹ 44.50 crore)
7.Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry
(₹ 21.00 crore) 8.Institutions of higher learning as per
Oversight Committee (₹ 8.32 crore) 9.All India Institute of
Medical Sciences, New Delhi, under 'National Drug De-

(-) 3.70

अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, 'राष्ट्रीय ड्रग नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत (₹ 3.08 करोड़) ।

- (ii) निम्निलिखित संस्थाओं / कार्यक्रमों को सहायता अनुदान वेतन :

 कस्तूरवा हेल्थ सोसाइटी वर्धा (₹ 10.00 करोड़) 2. राष्ट्रीय बायोलॉजिकल संस्थान, नोएडा (₹ 2.75 करोड़) 3. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली (₹ 23.00 करोड़) 4. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 39.74 करोड़) 5. राष्ट्रीय ड्रग तथा नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगल्र (₹ 1.62 करोड़)।
- (iii) निम्निलिखित संस्थाओं / कार्यक्रमों को सहायता अनुदान वेतन :

 कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा (₹ 25.45 करोड़) 2. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 22.00 करोड़) 3. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपपुर), पुडुचेरी (₹ 4.00 करोड़) 4. निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान (₹ 89.83 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) 'सरकारी कॉलेजों में पूंजी/पीजी सीटों के लिए काउसेलिंग' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय ₹ 3.70 करोड़। इस व्यय की पूर्ति वर्धित वसूली से की जाएगी।
 - (ii) निम्नलिखित संस्थानों / कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान : 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीटयूट, दिल्ली (₹ 1.35 करोड़) 2. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 54.70 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संसथान, बेंगलुरु (₹ 6.63 करोड़) 4. ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर (₹ 2.55 करोड़) 5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 40.00 करोड़) 6. रीजनल पोस्टर ग्रेजुएट सेन्टर जिपमर, पुड्चेरी (₹ 12.00 करोड़)।
 - (iii) निम्नलिखित संस्थाओं / कार्यक्रमों को वेतन सहायता अनुदानः

 वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीटयूट दिल्ली (₹ 0.25 करोड़)
 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 84.00 करोड़)
 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, बेंगलुरु (₹ 1.00 करोड़)
 रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट सेन्टर, जिपमर, पुइचेरी (₹ 8.00 करोड़)।
 - (iv) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेत् (₹ 1.48 करोड़)।
 - (v) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यवस्था की जाने वाली कोडेक्स बैठकों में जाने वाले विकासशील देशों से प्रतिनिधियों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु, नई योजना "कोडेक्स न्याय विधि (सीटीएफ) के तहत अंशदान के भुगतान हेतु (₹ 0.08 करोड़)।

- addiction Programme' (₹ 1.31 crore) 10.Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, under 'National Drug De-addiction Programme' (₹ 3.08 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to the following Institutions/ Programmes: 1.Kasturba Health Society, Wardha (₹ 10.00 crore) 2.National Institute of Biologicals, Noida (₹ 2.75 crore) 3.All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 23.00 crore) 4.Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 39.74 crore) 5.National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangaluru, under 'National Drug De-addiction Programme' (₹ 1.62 crore).
- (iii) Grants-in-aid-Salaries to the following Institutions/
 Programmes: 1.Kasturba Health Society, Wardha
 (₹ 25.45 crore) 2.All India Institute of Medical Sciences,
 New Delhi (₹ 22.00 crore) 3.Jawaharlal Institute of Post
 Graduate Medical Education & Research (JIPMER),
 Puducherry (₹ 4.00 crore) 4.Institutions of higher learning
 as per Oversight Committee (₹ 89.83 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Additional expenditure under the scheme "Counseling for UG/PG seats in Govt. Colleges" (₹ 3.70 crore). This expenditure will be met from the enhanced recovery.
 - Grants-in-aid-General to the following Institutions/ (ii) Programmes to meet additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity, and hike prices consumables, of reagents, 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 1.35 crore) 2.All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 54.70 crore) 3.National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangaluru (₹ 6.63 crore) 4.All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 2.55 crore) 5.Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (₹ 40.00 crore) 6.Regional Post Graduate Centre, JIPMER. Puducherry (₹ 12.00 crore)
 - (iii) Grants-in-aid-Salaries to the following Institutions/
 Programmes: 1.Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi
 (₹ 0.25 crore) 2.All India Institute of Medical Sciences,
 New Delhi (₹ 84.00 crore) 3.National Institute of Mental
 Health & Neuro-Science, Bangaluru (₹ 1.00 crore)
 4.Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry
 (₹ 8.00 crore).
 - (iv) To meet establishment related expenditure of "Directorate General of Central Government Health Scheme" (₹ 1.48 crore).
 - (v) For payment of contribution under a new scheme "Codex Trust Fund (CTF)" for meeting expenditure on delegates from developing countries going to various codex meetings to be managed by World Health Organisation ((₹ 0.08 crore).

(f)

(vi) 'राष्ट्रीय वेक्टर जिनत रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत ज्यादा टिकाऊ कीटनाशी मच्छरदानियों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 75.05 करोड़)।

उसी भाग में उपलब्ध बचतों तथा Rs.3.70 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई वसूली को देखते हुए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) निम्नलिखित संस्थाओं / कार्यक्रमों को सहायता अनुदान : 1. अमरीकी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत परिवार नियोजन सेवा एजेन्सी, लखनऊ (यू.पी.) विदेशी सहायता प्राप्त संघटक में राज्य (₹ 12.92 करोड़) 2. परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा संघ (₹ 0.30 करोड़) ।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

- (घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और बिज्ली, पानी आदि के प्रशुक्क में बढ़ोत्तरी संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.94 करोड़।
 - (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.85 करोड़।
 - (iii) 'पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम' के तहत ओरल पोलियों वैकसीन की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 67.80 करोड़)।

 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ङ) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों को पानी, बिजली के प्रशुल्कों के संशोधन और उपभोज्य वस्तुओं, अभिकर्मक द्रव्यों आदि का मूल्य बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदानः 1. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गांधी रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सांसेज, शिलांग (₹ 36.43 करोड़) 2. नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की आपूर्ति (₹ 1.00 करोड़) 3. पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों की आपूर्ति (₹ 0.20 करोड़) ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(च) 'राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत यूनाइटेड नेशनल इनोवेटिव फॉर टी.बी. एंड एड्स (यूनिटेड) से सहायता सामग्री सहायता (विदेशी सहायता संघटक)(₹ 16.50 करोड)। प्राप्तियों में तदनुरुपी वृद्धि होगी।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

(vi) To meet additional expenditure on procurement of Long Lasting Insecticidal Bednets (LLIN) under 'National Vector Borne Disease Control Programme' (₹ 75.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and enhanced recoveries of ₹ 3.70 crore, there will be no cash outgo.

c) Grants-in-aid-General to the following Institutions/Programmes:

1. State Innovation in Family Planning Services Agency,
Lucknow (U.P) (External Aided Component)under 'USAID
assisted Project' (₹ 12.92 crore) 2. Indian Medical Association
for 'Family Welfare Programme' (₹ 0.30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid-General to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi to meet the additional expenditure on retirement benefits to staff, and increase in tariff of electricity, water, etc. (₹ 3.94 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-Salaries to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi(₹ 0.85 crore).
 - (iii) To meet additional expenditure on procurement of Oral Polio Vaccine under 'Pulse Polio Immunisation Programme' (₹ 67.80 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid-General to the following Institutions/Programmes to meet additional expenditure due to upward revision of tariffs of water, electricity, and hike in prices of consumables, reagents, etc.: 1.North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 36.43 crore) 2.Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme (₹ 1.00 crore) 3.Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme (₹ 0.20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Aid-material assistance (External Aided Component) from United Nations Innovative for T.B. and AIDS (UNITAID)under 'National T.B. Control Programme' (₹ 16.50 crore). There will be a corresponding increase in the Receipts.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total ।. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 908.00 908.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 908.01 908.01 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान-सहायता-सामान्य भोपाल मेमोरियल अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र (बी.एम.एच. आर.सी), भोपाल का वेतन से इत्तर व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को(₹ 13.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बचता का ध्यान में रखत हुए साकातव पूरक अनुदान अपेक्षित है The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid-General to Indian Council of Medical Research, New Delhi for meeting Non-salary expenditure of Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (BMHRC), Bhopal (₹ 13.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए

सांकेतिक पूरक मांगें अपेक्षित है।

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(See page 30 of the Demands for Gra		, oui 2012 20	0.0)		(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
			राजस्व		पूंजी	,	जोड़
			Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:						
स्वीकृत:		Voted:	553.16		456.51		1009.67
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount	nt					
पूरक अनुमानः	now required:						
स्वीकृतः		Voted:	0.01		0.01		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		553.17		456.52		1009.69
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्ष	र्गें के अंतर्गत	दिखाया	जायेगाः		
	II. This Supplementary Grant will be a	ccounted for u	under the fo	llowing M	lajor Heads:		
			आयोजना		आयोजना-		जोड़
			Plan		भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग स्वीकृतः	2852 -Industries	Voted:			0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर स्वीकृतः	4860 - Capital Outlay on Consumer	Voted:	0.01	(खb)			0.01
पूंजी परिव्यय	Industries						
जोड़ (पूरक) स्वीकृतः	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हे	The s	supplementary	grants are	required	for:		
(क) आटोमोबाइल तथा सम्बद्ध उद्योग हे	तु विकास परिषद को सामान्य (a)	providing G	rant-in-Aid	General	(₹ 10 crore)	for Dev	velopment
अनुदान सहायता (₹ 10 करोड़) उपलब	ध कराना।	Council for A	Automobile	& Allied I	ndustry.		
(ख) वीआरएस योजना के कार्यान्वयन हेतु	7 प्रतिशत गैर-संचयी अधिमान (b)	providing e	quity capit	al in the	e form of 7%	6 non-c	umulative
शेयर के रूप में पूंजी उपलब्ध कराना		nroforonoo	-1 4- 1	VIEDA 4-		4-4:	of their
1141 41 114 01 AOII 241104 4111011	(1 00 4/15/1	preference	snare to	NEPA (0	wards implem	ientatior	i oi trieii

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, token supplementaries are sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2925.36	49.34	2974.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount nov	V			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोइ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2925.37	49.34	2974.71
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखार	ग्र जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	r the following	g Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.01 करोड़), अनुवाद में प्रशिक्षण के विस्तार की स्कीम (₹ 0.01 करोड़) तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद क्षमता के विस्तार की स्कीम (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में प्रकाशन के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना।
- (ii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (₹ 0.02 करोड़) तथा अनुवाद में प्रशिक्षण विस्तार स्कीम (₹ 0.01 करोड़) के संबंध में लघु कार्यों के अन्तर्गत व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting expediture under Publication in respect of Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore), Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore) and Scheme of Expansion of Translation Capacity in Central Translation Bureau (₹ 0.01 crore).
- (ii) meeting expenditure under Minor Works in respect of Central Translation Bureau (₹ 0.02 crore) and Scheme of Expansion of Training in Translation (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> करोड़ रुपये <i>l</i>	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.10	•••	0.10
	स्वीकृत:		Voted:	602.69	139.08	741.77
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	20.00	30.13	50.13
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		622.79	169.21	792.00
	भारित:		Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत:		Voted:	622.69	169.21	791.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	न मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाय	॥ जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	er the following	Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		20.00	(কa) 20.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:		30.13	(खb) 30.13
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	***	50.13	50.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के संदर्भ में अस्त्र शस्त्र के अंतर्गत व्यय प्रका

उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

(ख) एसपीजी के संदर्भ में मशीनरी तथा उपस्कर के अंतर्गत व्यय पूरा (b) करना जिसमें से ₹ 12.50 करोड़ इस प्रयोजन के लिए भारतीय आकस्मिकता निधि में से अग्रिम राशि के लिए वापसी हेतु होगे। उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

 meeting expenditure under Arms and Ammunition in respect of Special Protection Group (SPG).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) meeting expenditure under Machinery and Equipment in respect of SPG, of which ₹ 12.50 crore will be for recoupment towards advance drawn from Contingency Fund of India for the purpose. The above expenditure will entail a cash outgo.

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				राजस्व Revenue		<i>(</i> करोड़ रुपये पूंजी Capital	Rupe	es in Crore) जोड़ Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	5.67		7.87		13.54
	स्वीकृत:		Voted:	37515.15		9333.56		46848.71
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	भारित:		Charged:	8.15				<i>8.15</i>
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.02		0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		37529.01		9341.45		46870.46
	भारित:		Charged:	13.82		7.87		21.69
	स्वीकृत:		Voted:	37515.19		9333.58		46848.77
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हि						
		II. This Supplementary Grant/Appre	opriation will be	e accounted t आयोजना Plan	for under	the following I आयोजना- भिन्न	Major H	eads: जोड़ Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:			8.15	(कa)	8.15
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:			0.01	(घd)	0.01
सहायता		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union	Voted:			0.01	(ਝe)	0.01
सरकारों को सहायता अनुदान		Territory Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		8.18		8.19
	भारित:		Charged:			<i>8.15</i>		8.15
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.03		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(चf)	0.01	(छg)	0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		8.19		8.21
	भारित:		Charged:			8.15		<i>8.15</i>
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.04		0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजा के भुगतान हेतु असम राइफल्स को (₹ 7.65 करोड़) तथा वाहन दुघर्टना दावा अभिकरण के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने हेतु दिल्ली पुलिस (₹ 0.50 करोड़) को अन्य प्रभारों (प्रभारित) के अंतर्गत व्यय करने हेतु। अनुदान की राजस्व स्वीकृत धारा के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को लौटाए जाने को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सीमा सुरक्षा बल के वायु विंग हेतु छुट-पुट कार्यों हेतु अतिरिक्त (b) व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 28.26 करोड़)।
 - (ii) सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग हेतु अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting expenditure under Other Charges (Charged) of Assam Rifles on payment of compensation for land as per High Court order (₹ 7.65 crore)and Delhi Police for awarding compensation under the Motor Accident Claims Tribunal (₹ 0.50 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) meeting additional expendiutre under Minor Works of Air Wing of Border Security Force (BSF) (₹ 28.26 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Other Charges of Air Wing of BSF (₹ 10.00 crore).

अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।

- (ग) (i) केन्द्रीय पुलिस संगठन के कल्याण अनुदानों पर व्यय को पूरा (करने हेतु (₹ 0.01 करोड़)।
 - (ii) नक्सलवाद से निपटने हेतु अन्य प्रभारों के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 80.00 करोड़)।
 - (iii) सीमा सुरक्षा बल की एयर कोरियर सर्विसिस हेतु अन्य प्रभारों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 73.00 करोड)।

अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।

- (घ) गोरखालैण्ड टैरीटोरियल एडिमिन्सट्रेशन को पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की पुर्न प्राप्ति (₹ 65.00 करोड़)।
 - अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ङ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरों को संघ शासित प्रदेशों हेतु सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 0.40 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (च) (i) सीमा सुरक्षा बल के मशीनरी तथा उपस्कर के अंतर्गत (f) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हत् (₹ 73.40 करोड़)।
 - (ii) निम्निलिखित के कार्यालय भवन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (एनआईए) (₹ 31.40 करोड़) तथा सेन्ट्रल फारेन्सिक साइन्स लैब (₹ 0.07 करोड़)।
 - (iii) एनआईए के आवासीय भवन के तहत व्यय की पूर्ति (₹ 0.01 करोड)।
 - (iv) भारत बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य (₹ 40.00 करोड़), भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य (₹ 60.00 करोड़) और भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य (₹ 80.00 करोड़) संबंधी ओपी टावरों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

अनुदान की उसी धारा में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (छ) (i) भारत-तिब्बत सीमा निर्माण कार्य (₹ 63.00 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (₹ 31.00 करोड़) और असम राइफल्स (₹ 48.85 करोड़) के मोटर वाहनों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
 - (ii) एसएसबी के मोटर वाहनों (आधुनिकीकरण) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 5.23 करोड़)।
 - (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 10.00 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹ 237.10 करोड़) की मशीनरी और उपस्कर (सामान्य) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (i) meeting expenditure under Subsidies on Welfare Grants of Central Police Organisation (₹ 0.01 crore).
- (ii) meeting expenditure under Other Charges for naxal management (₹ 80.00 crore).
- (iii) meeting additional expenditure on Air Courier Services of BSF under Other Charges (₹ 73.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

(d) recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing Grants for Creation of Capital Assets to Gorkhaland Territorial Administration (₹ 65.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) Narcotics Control Bureau for providing Grants-in-aid-General to Union Territories (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment of BSF (₹ 73.40 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Office Building of National Investigation Agency (NIA) (₹ 31.34 crore) and Central Forensic Science Laboratory (₹ 0.07 crore).
- (iii) meeting expenditure under Residential Building of NIA ($\stackrel{>}{\scriptstyle{\sim}}$ 0.01 crore).
- (iv) meeting additional expenditure on construction of OP Towers, etc. in respect of Indo-Bangladesh Border Works (₹ 40.00 crore), Indo-Pak Border Works (₹ 60.00 crore) and Indo-China Border Works (₹ 80.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

- (i) meeting additional expenditure under Motor Vehicles of Indo-Tibetan Border Works (₹ 63.00 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹ 31.00 crore) and Assam Rifles (₹ 48.85 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure under Motor Vehicles (Modernisation) of SSB (₹ 5.23 crore).
 - (iii) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment (General) of National Security Guard (₹ 10.00 crore) and Delhi Police (₹ 237.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1163.00		1163.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1163.01		1163.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	er the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राजीव गांधी आवास योजना (आरएवाई) के अन्तर्गत कम आय के आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारण्टी फण्ड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) की स्थापना हेतु सरकारी अंशदान जारी करना (₹ 50 करोड़)।
- (ii) शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय नीतियों के समर्थन के लिए डीएफआईडी से तकनीकी सहायता (₹ 2.87 करोड़) की स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता के तहत प्रावधान को बढाना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

- (i) releasing of Government contribution for establishment of Credit Risk Guarantee Fund Trust (CRGFT) for Low Income Housing under Rajiv Awas Yojana (RAY)
 (₹ 50 crore).
- (ii) enhancing the provision under Grants-in-Aid General under the scheme of Technical Assistance from DFID for Support to National Policies for Urban Poverty Eradication (₹ 2.87 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						<i>(</i> करोड़ रुपये <i>Rup</i>	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	70559.75			70559.75
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		70559.77			70559.77
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीष	िक अंतर्गत वि	देखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for u	nder the follo	owing Maj	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत पूँजीगत पिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 230 करोड़)।
 - (ii) "माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा" के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अनुदान करने के लिए सामान्य सहमत-अनुदान (₹ 0.17 करोड़)।
 - अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों का ध्यान रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत पूँजीगत (b) परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 70.00 करोड़)।
 - (ii) 'माध्यिमक और उच्चतर माध्यिमक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उनके चलाने हेतु योजना' के अंतर्गत असम राज्य को अनावर्ती अनुदान जारी करने के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 11.10 करोड़)।
 - (iii) 'शिक्षा के व्यावसायीकरण' की योजना के अंतर्गत असम में राष्ट्रीय व्यावसायीकरण अर्हता रुपरेखा (एनवीईक्यएफ) को प्रारंभ करने के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियां सृजन करने के लिए अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।
 - अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचतों का ध्यान में रखते हए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (i) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 230.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General for making the payment to National Council of Educational Research & Training under the scheme 'Inclusive Education for Disabled at Secondary School' (₹ 0.17 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 70.00 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets for releasing of Non recurring grant to State of Assam under the 'Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary & Higher Secondary Schools' (₹ 11.10 crore).
 - (iii) Grants for creation of capital assets for launching National Vocational Educational Qualification Framework (NVEQF) in Assam under the scheme 'Vocationalisation of Education' (₹ 9.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व		पूंजी	7.	जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	25275.00		•••		25275.00
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the						
रकम का पूरक		amount now required:						
अनुमान:								
	स्वीकृत:		Voted:	104.03				104.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		25379.03		•••		25379.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	ात मुख्य शीषे	िके अंतर्गत वि	देखाया जार	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for u	nder the follo	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	52.00	(खb)	52.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
3606 - सहायता सामग्री	स्वीकृत:	3606 -Aid Materials and Equipment	Voted:			52.00	(ਝe)	52.00
और उपस्कर								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		104.00		104.03
		टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर	_	मानों में नीचे	दर्शाई गयी	वसूलियों को शा	मिल नहीं	किया गया है
		जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया	ा जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requi	irements do no	ot take into acc	ount the red	coveries shown be	low, which	are adjusted
		in reduction of expenditure.						
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

3606 - सहायता सामग्री

और उपस्कर

- (क) (1) 'उर्दू भाषा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.00 करोड़)।
 - (2) 'राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।

3606 - Aid Materials and Equipment

- (3) 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.00 करोड़)।
- (4) 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेतन अनुदान सहायता (₹ 6.00 करोड़)। अनुदान की इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचतों को लेखा में

लेने पर एक सांकेतिक पूरक की मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(1) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'National Council for Promotion of Urdu Language' (₹ 12.00 crore).

(-)52.00

(-)52.00

- (2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Rashtriya Ved Vidya Pratisthan' (₹ 20.00 crore).
- (3) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme 'Grants to Rashtriya Sanskrit Sansthan' (₹ 4.00 crore).
- (4) Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme 'Rashtriya Sanskrit Sansthan' (₹ 6.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(c)

(d)

- (ख) (1) विदेशी सहायता अवयव (₹ 52 करोड़) के रूप में एक बारगी प्रावधान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' को सामान्य सहायता अनुदान। चूंकि यह राशि नकदी व्यय से ली जाएगी, कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (2) 'प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.60 करोड)।
 - (3) 'प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.60 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को लेखा में लेने पर, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ग) (1) 'भारतीय प्रौचोगिक संस्थान' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूरक सहायता अनुदान (₹ 6.00 करोड़)।
 - (2) 'भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू को अनुदान' योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य पूरक अनुदान (₹ 30.00 करोड़)।
 - (3) निम्निलिखित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान :- (i) नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आईआईएम) (₹ 89.80 करोड़); (iii)भारती सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (₹ 18.00 करोड़); (iiii) नए योजना तथा वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना हेतु (₹ 25.00 करोड़); तथा (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 64.00 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हए
 - अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बचता का दखत हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (घ) 'केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार' योजना के अंतर्गत चल रही निर्माण गतिविधियों हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 15.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ङ) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)' जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एजेन्सी (जेआईसीए) द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त वस्तु सहायता को समायोजित करना। चूंकि इसकी पूर्ति "वसूली घटाना" से की जाती है, इसलिए कोई नकद ट्यय नहीं होगा।

- (1) Grants-in-aid-General for additional requirement (₹ 52 crore) of 'Indira Gandhi National Open University' as one time provision as External Aided Component. Since the amount will be met from additional receipt, there will be no cash outgo.
- (2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Copyright Board' (₹ 0.60 crore).
- Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme 'Copyright Board' (₹ 0.60 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (1) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement under the scheme 'Indian Institutes of Technology' (₹ 6.00 crore).
- (2) Grants-in-aid-General for meeting additional requirement for scholarship under the scheme 'Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru' (₹ 30.00 crore).
- (3) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i)Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs) (₹ 89.80 crore); (ii)Indian Institute of Information Technology, Allahabad (₹ 18.00 crore); (iii)Setting up of New Schools of Planning and Architecture (₹ 25.00 crore); and (iv)Indian Institutes of Technology (₹ 64.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement for ongoing construction activities under the scheme 'Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar' (₹ 15.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- 'Indira Gandhi National Open University (IGNOU)' To accommodate additional commodity assistance provided by Japan International Co-operation Agency (JICA). Since it is matched by "Deduct Recovery", there will be no cash outgo.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपये	Rupees in Cr	ore)
				राजस्व		पूंजी	जो	ड़
				Revenue		Capital	To	tal
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारितः		Charged:	0.03			(0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2193.36		544.00	2737	7.36
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमानः		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	4.71		0.01	4	1.72
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2198.10		544.01	2742	2.11
	भारित:		Charged:	0.03			(0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2198.07		544.01	2742	2.08
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	ात मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत	दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for ur	nder the foll	owing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-	जो	इ
				Plan		भिन्न	To	tal
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:	4.60	(कa)	0.01	(खb) ⁴	1.61
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.10	(गc)		(0.10
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	4.70		0.01	4	1.71
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4220 - सूचना और प्रचार पर	स्वीकृत:	4220 - Capital Outlay on Information	Voted:	0.01	(घd)		(0.01
पूंजी परिव्यय		and Publicity						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	4.71		0.01	4	1.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए 'सहायता अनुदान-सामान्य'
 (₹ 1 करोड़) तथा 'पूँजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए अनुदान'
 (₹ 3.60 करोड़) के अंतर्गत 4.60 करोड़ की अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव/पुरस्कार' योजना के संबंध में ₹ 0.50 करोड़ के व्यय को पूरा करना; तथा (ii) पत्रकार कल्याण के लिए ₹ 0.20 करोड़ के व्यय को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के समान भाग में उपलब्ध हैं, दोनों प्रयोजनों के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) भारतीय जन संचार संस्थान के लिए सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.10 करोड़ की अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के पूँजीगत भाग में उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) 'राष्ट्रीय प्रैस सैंटर की स्थापना' की योजना के लिए व्यय को (₹ 7.45 (d) करोड़) को पूरा करना। क्योंकि बचतें अनुदान के समान भाग में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (a) meeting an additional requirement of ₹ 4.60 crore under 'Grants-in-aid-General' (₹ 1 crore) and 'Grants for creation of Capital Assets' (₹ 3.60 crore) for Indian Institute of Mass Communication. As the savings are available under capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) (i) meeting the expenditure amounting to ₹ 0.50 crore on scheme 'National Students Film Festival/Award'; and (ii) meeting expenditure of ₹ 0.20 crore for Journalist Welfare. As the savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought for both the purposes.
-) meeting an additional requirement of ₹ 0.10 crore towards 'Grants-in-aid for Indian Institute of Mass Communication. As the savings are available under capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
-) meeting expenditure on scheme 'Setting up of National Press Centre' (₹ 7.45 crore.) As the savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						<i>(</i> करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.02				0.02
	स्वीकृत:		Voted:	4634.42		8.19		4642.61
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमानः		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4634.46		8.20		4642.66
	भारित:		Charged:	0.02				0.02
	स्वीकृत:		Voted:	4634.44		8.20		4642.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	न मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत	दिखाया उ	नायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ur	nder the foll	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4250 - अन्य समाज सेवाओं	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:	0.01	(गc)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Services						
जोइ (पूरक)	स्वीकृतः	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अनुदान मांगा गया है।

- (क) "1396 सरकारी आईटीआई संस्थानों का उन्नयन" योजना के तहत प्रबंधन क्षमता निर्माण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन आदि के तहत सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक
- (ख) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड की वेतन, पेंशन आदि ,सहायता अनुदान संबंधी आवश्यकताएं (₹ 17.94 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) बीडी कामगार कल्याण निधि/स्वास्थ्य प्रमूख निर्माण कार्यों के तहत हेतु नया वस्तु शीर्ष खोलने के लिए सामान्य सहयता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under Management, capacity building, monitoring and evaluation, under the scheme "Upgradation of 1396 Government ITIs (₹ 0.35 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries, pension etc. requirements of Central Board for Workers Education (CBWE) (₹ 17.94 crore).
 - Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General opening of new object head under Major Works for Beedi Workers Welfare Fund/Health (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Ri</i>	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	72.17		72.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	5.00	5.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		72.18	5.00	77.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों वे	७ अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for und	er the following	Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2015 - चुनाव	स्वीकृत:	2015 -Elections	Voted:		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		5.00	(खb) 5.00
परिव्यय						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		5.01	5.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूरे देश में वोटरों में जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.10 करोड़)।
 - (ii) विस्तृत शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कम्प्यूटर मदों और उनके अनुरक्षण पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)।
 - (iii) वोटर वेरीफीयंबल पेपर ट्रायल (वीवीपीएटी) मशीन के अनुसंधान और विकास पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान ताकि ईसीआईएल और भेल को दिया जा सके (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) हेतु परिसर के निर्माण हेतु निधियों के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 5.00 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के सरेण्डर को देखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकदी व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) Grant-in-aid-General to meet the additional requirement for organising nationwide programme in order to increase voters awareness throughout the country (₹ 2.10 crore).
 - (ii) To meet the additional requirement on computer items and maintenance thereof under the detail head Information Technology (₹ 0.01 crore).
 - (iii) Grant-in-aid-General to meet the additional requirement on Research and Development of the Voter Verifiable Paper Trail (VVPAT) machines, to be disbursed to ECIL & BEL (₹ 2.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) To meet the additional requirement of funds for construction of Campus for India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) (₹ 5.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संख्या NO. 64 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital Total **/.**विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: Charged: 111.75 111.75 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: भारितः Charged: 9.50 9.50 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 121.25 121.25 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2014 - न्याय प्रशासन भारित: 2014 - Administration of Justice Charged: 9.50 9.50

यह पूरक विनियोग निम्निलिखित हेतु अपेक्षित है: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों तथा कार्मिकों की वेतन संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय को पूरा करना। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting the expenditure requirements on Salaries to the Hon'ble Judges and Officials in the Supreme Court of India.

The above expenditure will entail a cash outgo.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Ci				
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3071.86	83.80	3155.66		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3071.87	83.80	3155.67		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	॥ जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the following	g Major Head:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01		0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्क्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम समूह विकास कार्यक्रम और ग्रोथ पोल्स के तहत वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.65 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

additional requirement for Grant-in-aid Salary under MSME Cluster Development Programme and Growth Poles (₹ 0.65 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> ক	रोड़ रुपये <i>Rupee</i>	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	628.76		69.58	698.34
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		79.46	79.47
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		628.87		149.04	777.91
	भारित:		Charged:	0.10			0.10
	स्वीकृत:		Voted:	628.77		149.04	777.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखा	या जायेग	Π:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for under	the followin	g Major I	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2853 - अलौह खनन और	स्वीकृत:	2853 -Non-Ferrous Mining and	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01
धातुकर्म उद्योग		Metallurgical Industries					
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4853 - अलौह खनन और	स्वीकृत:	4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous	Voted:	79.46	(खb)		79.46
धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी		Mining and Metallurgical Industries					
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	79.47			79.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निर्देशन एवं प्रशासन हेतु भारतीय भूगार्भिक सर्वेक्षण हेतु प्रावधान का संवर्धन(₹ 3 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹ 1 करोड़), सर्वे एवं मानचित्र (₹ 3.05 करोड़) और खनिज खनन (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) ओशन गोविगं रिसर्च वेसल की प्राप्ति हेतु चौथी किस्त की अदायगी हेतु भारतीय भूगार्भिक सर्वे की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 79.46 करोड़)। इस प्रोयजनार्थ भारतीय आकस्मिक निधि से ₹ 79.46 करोड़ की अग्रिम स्वीकृत की गई, निधि में शामिल किया जाएगा। इसमें ₹ 79.46 करोड़ नकदी व्यय शामिल होगा।

- (a) augmentation of provision to Geological Survey of India towards direction & administration (₹ 3 crore),Research and Development (₹ 1 crore), Survey & Mapping (Rs 3.05 crore) and Mineral Exploration (₹ 1.50 crore). As savings area available within same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) additional requirement(Rs 79.46 crore) of Geological Survey of India towards payment of IVth installment for acquisition of Ocean Going Research Vessel. An advance of ₹ 79.46 crore was sanctioned from Contingency Fund of India for this purpose, which will be recouped to the Fund. This will entail a cash outgo of ₹ 79.46 crore.

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

			,	,	(करोड़ रुपये <i>Rup</i> o	ees in Crore)				
				राजस्व	पूंजी	जोड़				
				Revenue	Capital	Total				
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	1346.22	92.00	1438.22				
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount								
का पूरक अनुमानः		now required:								
	स्वीकृत:		Voted:	110.26		110.26				
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1456.48	92.00	1548.48				
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:								
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़				
				Plan	Non-Plan	Total				
राजस्य भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	110.26		110.26				
			-	में नीचे दर्शाई ग	यी वस्लियों को शामिल न	हीं किया गया				
		है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !								
		Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are								
		adjusted in reduction of expenditure.								
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
2810 - नवीन तथा		2810 - New and Renewable Energy		(-) 110.26		(-) 110.26				
नवीकरणीय ऊर्जा		2010 New and Renewable Energy		() 110.20	•••	() 110.20				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेन्द्रीकृत नवीकरण विद्युत के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान - (क) सौर क्रांति सिंचाई योजना (₹ 3.56 करोड़) के अंतर्गत बिहार के छः जिलों के गाँवों में 560 सौर फोटोवोल्टैक वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने, (ख) नाबाई (₹ 50 करोड़) के जिर सौर फोटोवोल्टैक लाइटें तथा लघु क्षमता के सौर फोटोवोल्टैक सिस्टम स्थापित करने, (ग) पूरे भारत में विभिन्न डीजल उप-भोक्ता क्षेत्रों में 500 केडब्ल्यूयूपी आकार तक के सौर फोटोवोल्टैक विद्युत संयंत्र स्थापित करने (₹ 49.50 करोड़) तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न भारतीय रेलवे स्थानों पर कुल 4 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सौर फोटोवोल्टैक विद्युत संयंत्रों को स्थापित (₹ 7.20 करोड़) करने के लिए सौर ऊर्जा। क्योंकि व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वहन किया जाएगा, इसलिए तकनीकी अनुपरक माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General under Off-grid/distributed and decentralized renewable power - Solar Power for (a) to install 560 numbers of Solar Photovoltaic water pumping systems in the villages in 6 districts of Bihar under Saurkranti Sichai Yojana (₹ 3.56 crore), (b) installation of Solar Photovoltaic lights and small capacity Solar Photovoltaic systems through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (₹ 50 crore), (c) installation of Solar Photovoltaic power plants upto size of 500 KWp in diferent diesel consuming sectors throughout India (₹ 49.50 crore), and (d) installation of Solar Photovoltaic power plants aggregating to 4 MWp capacity at diferent Indian Railway Locations under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (₹ 7.20 crore). As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> करोड़ रुपये <i>F</i>	Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	18.85	5.00	23.85		
	स्वीकृत:		Voted:	758.15	112.67	870.82		
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the	amount					
पूरक अनुमान:		now required:						
	भारित:		Charged:	1.87		1.87		
	स्वीकृत:		Voted:	30.00		30.00		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary))	808.87	117.67	926.54		
	भारित:		Charged:	20.72	5.00	25.72		
	स्वीकृत:		Voted:	788.15	112.67	900.82		
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग क	। हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेग	Π:		
		II. This Supplementary Grant/A						
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत:	2051 -Public Service Commiss	ion Voted:		30.00	(कa) 30.00		
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:		1.00	(碅b) <i>1.00</i>		
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	भारित:	2070 - Other Administrative Se	rvices Charged:		0.87	(गc) <i>0.87</i>		
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	31.87	31.87		
	भारित:		Charged:		1.87	1.87		
	स्वीकृत:		Voted:		30.00	30.00		
यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्ब	नलिखित हेतु	अपेक्षित है:	The supplementary grar	nt/appropriatio	on are required for:	:		
(क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के तहत विभि			(a) meeting expend	liture under	Professional Se	rvices of Staff		
परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यय की पूर्ति।			Selection Commi	ssion for cond	ducting various ex	aminations.		
(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष न्यायालय आदेश के अनुसार ट्रैप मनी			(b) refunding the tra	p money as p	er Central Bureau	of Investigation		
की वापसी।			Special Court's o	rder.				
(ग) केन्द्रीय सर्तकता आयोग	की स्थापना र	संबंधी व्यय की पूर्ति।	(c) meeting establishment related expenditure of Central Vigilance					
•		•	Commission.			_		
अनुदान के पूंजी भाग व	ने उपलब्ध ब	चतों के अभ्यर्पण को देखते हुए	Taking into acco	ount the surre	ender of savings	available in the		
उपर्युक्त व्यय में कोई अवि			_		, the above expe			
3 (**		•	entail any addition		•			
			ontain any addition	cac catg				

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupees in Ci			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	43758.85	1.00	43759.85	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	28500.00		28500.00	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		72258.85	1.00	72259.85	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः					
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	2802 -Petroleum	Voted:		28500.00	28500.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- तंल विपणन कम्पनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में अनुमान से कम वस्लियों संबंधी क्षतिपूर्ति प्रदान करना (₹ 28500 करोड़)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ii) केरोसीन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नकद सब्सिडी के सीधे अंतरण हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना (₹ 10 करोड़)। चूँिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (i) providing compensation (₹ 28500 crore) towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products. This will entail net cash outgo.
- (ii) providing incentive to States/ Union Territories for direct transfer of cash subsidy on Public Distribution System of Kerosene (₹ 10 crore). As the savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 76 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					<i>(</i> क-	रोड़ रुपये <i>Rupees</i>	in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
/. विनियोग:		I. ORIGINAL APPROP	RIATION:				
<i>3</i> .	भारितः			Charged:	30.24		30.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimat	te of the amount				
अनुमान:		now required:					
<i>3</i> .	भारित:			Charged:	0.96		0.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	mentary)		31.20		31.20
		II. इस पूरक विनियोग का	हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगाः	
		II. This Supplementary	Appropriation will be	e accounted fo	or under the fol	lowing Major Hea	d:
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/	भारित:	2012 - President, Vice		Charged:		0.96	0.96
राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		President/Governor, Ad	lministrator of				
		Union Territories					
यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			The supplementa	ry appropriatio	n is required fo	or:	
वेतन (₹ 0.53 करोड़) तथा कार्यालय व्यय और अन्य प्रभारों आदि			meeting the ad-	ditional exper	nditure requir	ements towards	'Salary'
(₹ 0.43 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय जरूरत	न को पृ	्रा करने के लिए।	(₹ 0.53 crore) ar	nd towards of	fice expenses	and other charg	jes etc .
			(₹ 0.43 crore).				
उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।			The above expen	diture will enta	il a cash outgo) ;	

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupee</i>	s in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.87		0.87	
	स्वीकृत:		Voted:	434.13	•••	434.13	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	38.40	•••	38.40	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		473.40		473.40	
	भारित:		Charged:	0.87		0.87	
	स्वीकृत:		Voted:	472.53		472.53	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व्	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	स्वीकृत:	2011 -Parliament/State/Union Territory	Voted:		38.40	38.40	
के विधान मंडल		Legislatures					
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पी	क्षित है:	The supplementa	ary grant is re	equired for:			
		ा/दैनिक भत्ते का भ्रगतान meeting the a		•	towards under	'Salary'	

(₹ 10.00 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.90 करोड़) तथा संसदीय (₹ 25.00 crore) , payment of TA/DA to MPs (₹ 10.00 crore), other प्रतिनिधि मण्डलों के लिए विदेश यात्रा व्यय (₹ 2.50 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

administrative expenses (₹ 0.90 crore) and Foreign Travel Expenses for Parliamentary Delegations (₹ 2.50 crore).

The above expenditure will entail cash outgo;

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:		7.50	7.50
	स्वीकृत:		Voted:	22495.36	24643.49	47138.85
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:		23.00	23.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		22495.36	24673.99	47169.35
	भारित:		Charged:		30.50	30.50
	स्वीकृत:		Voted:	22495.36	24643.49	47138.85
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखि	ात मुख्य शीर्ष वे	5 अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation will	be accounted t	for under the fo	llowing Major Head	:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	भारित:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Charged:		23.00	23.00
परिव्यय		Bridges				

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बी.आर.डी.बी. द्वारा प्रमुख कार्यों के लिए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अनुबंध करार के विरूद्ध जम्मू-कश्मीर, जम्मू उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अधिनिर्णय सं. 41 और 42/2008 के तहत भुगतान के लिए ₹ 23.00 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्य/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत राशि के सरेण्डर को ध्यान में रखते हुए तथा अनुदान के उसी भाग में बचतों के सदुपयोग के पश्चात्, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 23.00 crore on Major Works by BRDB towards payment against Award No.41 & 42/2008 submitted by Sole Arbitrator against Contract Agreement before Hon'ble High Court of Jammu and Kashmir, Jammu . Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						<i>(</i> करोड़ रुपये <i>Ruj</i>	pees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़		
				Revenue		Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	129923.02			129923.02		
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमानः		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		129923.04		•••	129923.04		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the follo	owing Ma	jor Heads:			
				आयोजना		आयोजना-	जोड़		
				Plan		भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(कa)		0.01		
कार्यक्रम		Programmes							
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(खb)		0.01		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02		

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए)
 (₹ 25 करोड़) को अनुदान संबंधी व्यय को पूरा करना; और
 - (ii) बी.पी.एल. सर्वेक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना(₹ 100 करोड़)।
- (ख) (i) एडीबी समर्थित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाओं के (b) प्रति होने वाले व्यय को पूरा करना(₹ 0.60 करोड़); तथा
 - (ii) विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के प्रति होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 8.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting the expenditure of the grant to Institute of Rural Management Anand (IRMA)(₹ 25 crore); and
 - (ii) meeting additional requirement for BPL Survey (₹ 100 crore).
- (i) meeting the expenditure towards consultancy services under ADB Assisted Projects (₹ 0.60 crore); and
- (ii) meeting expenditure towards training and skill development under World Bank Assisted Projects (₹ 8.25 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	2842.87	39.97	2882.84
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2842.90	39.97	2882.87
	भारित:		Charged:	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत:		Voted:	2842.88	39.97	2882.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया	जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for under	the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (a) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1)अन्य देशों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (₹ 2 करोड़),
 - (2) भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्यगिक केन्द्र (₹ 3 करोड़)
 - (3) भारत-अमरीकी विज्ञान एवं प्रौद्यगिकी मंच (₹ 0.30 करोड़)।
- (b) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान (1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उधिमता विकास (₹ 1.55 करोड़), (2) अनुसंधान एवं विकास सहायता (₹ 9.70 करोड़), (3) राष्ट्रीय नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्यगिक मिशन (₹ 16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Grants-in-aid General under the scheme of (1) S&T Cooperation with Other Countries (₹ 2 crore),
 (2) Indo-German Science & Technology Centre (₹ 3 crore), (3) Indo-US Science & Technology Forum (₹ 0.30 crore).
 - b) Grants for creation of capital assets under the scheme of (1) S&T Entrepreneurship Development (₹ 1.55 crore), (2) R&D Support (₹ 9.70 crore), (3) National Mission on Nano Science & Nano Technology (₹ 16 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

			•	·		(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)		
					राजस्व	पूंजी	जोड़		
					Revenue	Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:			Voted:	1403.41	573.08	1976.49		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	of the amount now						
अनुमान:		required:							
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppleme	entary)		1403.42	573.08	1976.50		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Gr	This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
					आयोजना	आयोजना-	जोड़		
					Plan	भिन्न	Total		
						Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3605 -Technical and Econ	nomic Co-operation	Voted:		Non-Plan 0.01	0.01		
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	MAJOR HEAD	nomic Co-operation	Voted:			0.01		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग		MAJOR HEAD 3605 -Technical and Econ	·				0.01		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3	भपेक्षित है:	MAJOR HEAD 3605 -Technical and Ecor with Other Countries	The supplementary	y grant is	•	0.01			
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3 मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक	भपेक्षित है: के लिए	MAJOR HEAD 3605 -Technical and Ecor with Other Countries	The supplementar	y grant is expendit	ure on Grants	0.01 s-in-Aid-General (₹	5.60 crore)		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3 मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक अन्तर्देशीय जलमार्गों के अनुरक्षण हेतु	भपेक्षित है: के लिए नुबांग्लादेश	MAJOR HEAD 3605 -Technical and Ecor with Other Countries बांग्लादेश सरकार प्रोटोकाल सरकार के सामान्य सहायता	The supplementary meeting additional to the Government	y grant is expendit nt of Bar	ure on Grants	0.01 s-in-Aid-General (₹ maintenance of t	5.60 crore)		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3 मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक	भपेक्षित है: के लिए नुबांग्लादेश	MAJOR HEAD 3605 -Technical and Ecor with Other Countries बांग्लादेश सरकार प्रोटोकाल सरकार के सामान्य सहायता	The supplementary meeting additional to the Government inland waterway results.	y grant is expendit nt of Bar outes by	ure on Grants ngladesh for the Governme	0.01 s-in-Aid-General (₹ maintenance of t	5.60 crore)		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3 मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक अन्तर्देशीय जलमार्गों के अनुरक्षण हेतु अनुदान के (₹ 5.60 करोड़) के अतिरि	भपेक्षित है: के लिए तु बांग्लादेश क्त ट्यय को	MAJOR HEAD 3605 - Technical and Ecor with Other Countries बांग्लादेश सरकार प्रोटोकाल सरकार के सामान्य सहायता पूरा करना।	The supplementary meeting additional to the Government inland waterway reprimarily to Indian	y grant is expendit nt of Bar outes by t	ure on Grants ngladesh for the Governme	0.01 s-in-Aid-General (₹ maintenance of t ent of Bangladesh	5.60 crore) he protocol for catering		
मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3 मुख्यतः भारत के ट्रांजिट ट्रैफिक अन्तर्देशीय जलमार्गों के अनुरक्षण हेतु	भपेक्षित है: के लिए तु बांग्लादेश क्त ट्यय को	MAJOR HEAD 3605 - Technical and Ecor with Other Countries बांग्लादेश सरकार प्रोटोकाल सरकार के सामान्य सहायता पूरा करना।	The supplementary meeting additional to the Government inland waterway results.	y grant is expendit nt of Bar outes by t	ure on Grants ngladesh for the Governme	0.01 s-in-Aid-General (₹ maintenance of t ent of Bangladesh	5.60 crore) he protocol for catering		

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted	: 5708.30	300.00	6008.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount			
अनुमानः		now required:			
	स्वीकृत:	Voted	: 0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	5708.31	300.00	6008.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिख	वाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for u	nder the follow	ring Major Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Voted	: 0.01		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward			
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों की योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के मृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 6.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

releasing additional Grants for creation of capital assets to the Central Universities in the scheme of Boys and Girls Hostels for Other Backward Classes (₹ 6.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant a token supplementary is sought.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:		Voted:	3575.93	3138.21	6714.14
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3576.43	3138.62	6715.05
	भारित:		Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:		Voted:	3575.93	3138.22	6714.15
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	,ख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under	the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5252 - उपग्रह प्रणाली पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5252 - Capital Outlay on Satellite System	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनसैट-3डी लांच सेवाएं (₹ 249.25 करोड़) और (ख) जीसैट-7 लांच सेवाएं (₹ 340.80 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure for (a) INSAT-3D Launch Services (₹ 249.25 crore) and (b) GSAT-7 Launch Services (₹ 340.80 crore).

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये <i>Rupe</i>	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	4926.34	17.20	4943.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4926.35	17.20	4943.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दो राज्यों आंध्र प्रदेश (₹ 48.00 करोड़) और ओडीशा (₹ 24.00 करोड़) में छठी

आर्थिक जनगणना कराने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है। The supplementary grant is required for:

meeting the requirement towards conducting Sixth Economic Census in two States viz. Andhra Pradesh (₹ 48.00 crore) and Odisha (₹ 24.00 crore).

(< 24.00 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					11.00	0 0.0.0,		
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	121.89		121.89		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no)W					
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	125.68		125.68		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		247.57		247.57		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः						
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for under	the following	Major Head:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	***	125.68	125.68		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बिसरा स्टोन लाइम क. लि.,बर्ड ग्रुप आफ कंपनीस की एक आनुषंगिक कंपनी को अनुदान सहायता (₹ 149.45 करोड़) ताकि कंपनी की अनुमोदित पुनगर्ठन योजना के अनुसार आयकर दायित्यों को पूरा किया जा सके। अनुदान के उसी भाग में ₹ 23.77 करोड़ की बचतों को देखते हुए उपर्युक्त, में ₹ 125.68 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid (₹ 149.45 crore) to Bisra Stone Lime Company Ltd. under the Bird Group of Companies to discharge income tax liabilities, as per approved restructuring plan of the company. Taking into account saving of ₹ 23.77 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of Rs 125.68 crore.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपर	Rupees	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	7775.63	60.78		7836.41
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	3.00		3.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7775.66	63.78		7839.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीष	र्भों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for a	under the fo	ollowing Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb) 0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	0.02		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर	स्वीकृत:	4851 - Capital Outlay on Village and	Voted:	3.00	(घd)		3.00
पूंजी परिव्यय		Small Industries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	3.01	0.02		3.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (₹ 17.17 करोड़)। चूँिक अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) (i) तकनीकी कपड़ा उद्योग के डाटाबेस के सुद्ढीकरण हेतु व्यय की पूर्ति (₹ 2.19 करोड़), और
 - (ii) वचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 20 करोड़)। चूँकि अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अत: सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय कपास संस्थान और कपास सलाहकार समिति को अंशदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (₹ 0.91 करोड़)। चूँिक अनुदानों के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा
- (घ) बंगलुरू और जम्मू व कश्मीर में हस्तकला भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 3 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूँजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement for "Grants-in-aid Salaries" to Central Silk Board (₹ 17.17 crore). As savings are available under the same section of Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) meeting the expenditure for Strengthening of Database of Technical Textiles Industry (₹ 2.19 crore); and
 - (ii) additional requirement as "Grants-in-aid General" under the scheme Human Resource Development to meet the committed liability (₹ 20 crore). As savings are available under the same section of Grant, a token supplementary is sought.
- c) meeting the additional requirement for Contributions to International Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹ 0.91 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - additional requirement of (₹ 3 crore) for Construction of Building for Handicrafts Bhawan at Bengaluru and Jammu & Kashmir. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96-102 देखिये)

(See page 96-102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.01		0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2352.91	739.25	3092.16
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	76.72		76.72
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2429.64	739.25	3168.89
	भारित:		Charged:	0.01		0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2429.63	739.25	3168.88
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्ष के 3	मंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following N	/lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	76.72		76.72
		Calamities				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सुनामी के कारण डूब क्षेत्र में आई भूमि से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना।

अनुदान के पूंजी भाग में सरेण्डर की गई उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on payment of compensation to Tsunami affected farmers whose land had got submerged.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-108 देखिये)

(See page 103-108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

			•	राजस्व	C	करोड़ रुपये <i>Rupe</i> पूंजी	es in Crore) जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारितः		Charged:	18.85		0.25	19.10
	स्वीकृत:	Our allows and any Father at a of the annual and	Voted:	2486.57		410.34	2896.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमानः		Supplementary Estimate of the amount now required:					
χ σι.3	स्वीकृत:	now required.	Voted:	0.03		0.06	0.09
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	70.00.	2505.45		410.65	2916.10
	भारित:		Charged:	18.85		0.25	19.10
	स्वीकृत:		Voted:	2486.60		410.40	2897.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित			देखाया ज		2007.00
		II. This Supplementary Grant will be acco					
				आयोजना		आयोजना-	जोड़ र
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		Ministry of Consumer Affairs, Food and					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		Public Distribution					
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत:	3456 -Civil Supplies	Voted:	0.01	(कa)		0.01
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:	0.01	(खb)		0.01
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism					
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01	(गc)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		•••	0.03
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
पुर्वावरण और वन मंत्रालय		Ministry of Environment and Forests					
4406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	4406 - Capital Outlay on Forestry and	Voted:	0.01	(घd)		0.01
पर पूंजी परिव्यय	(417/11.	Wild Life	voled.	0.01	(qu)	•••	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		Ministry of Health and Family Welfare					
मंत्रालय		minory of Frontal and Lammy Wondro					
4210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(še)		0.01
स्वास्थय पर पूंजी परिव्यय		Public Health	votou.	0.01	(00)		0.01
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.01	(चf)		0.01
पूंजी परिव्यय		root capital callay of the ablie trotte	votou.	0.01	(-11)		0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग		Department of Higher Education					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(<u>छ</u> g)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture			(- 3)		
श्रम और रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and Employment					
४२५० - अन्य समाज सेवाओं पर	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:	0.01	(जh)		0.01
पूंजी परिव्यय	6	Services			,	•••	
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:	0.01	(झi)		0.01
परिव्यय	2,	Development		0.01	(4)	•••	3.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.06			0.06
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.09			0.09
				0.00		•••	2.23

(f)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) गरीबी की सीमा रेखा से निचले परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के व्यय को पूरा करने हेत् अन्य प्रभारों के अंतर्गत (₹ 10.80 करोड़)।
- (ख) बैंकों की सुरक्षा डयूटी हेतु बलों को तैनात करने हेतु पंजाब पुलिस की लिम्बित देनदारियों को निपटाने हेतु अन्य प्रभारों के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेत् (₹ 10.00 करोड़)।
- (ग) चण्डीगढ़ होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग तकनीक संस्थान, चण्डीगढ़ को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 2.00 करोड़)।
- (घ) वन विभाग द्वारा मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों को मुआवजे का भूगतान (₹ 34.50 करोड़)।
- (ङ) (i) सरकारी चिकित्सा कॉलेज तथा अस्पताल, चण्डीगढ़ में चल रहे (e) निर्माण कार्य को पूरा करने हेत् (₹ 4.54 करोड़)।
 - (ii) सरकारी बहु विशेषज्ञ अस्पताल, चण्डीगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेत् (₹ 2.29 करोड़)।
- (च) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेत् (₹ 10.50 करोड़)।
- (छ) चण्डीगढ़ में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु (₹ 0.69 करोड़)।
- (ज) केन्द्रीय शिल्प संस्थान तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निधियां उपलब्ध कराना (₹ 0.19 करोड़)।
- (झ) पैदल यात्री पुलों तथा यात्री स्वागत केन्द्र, चण्डीगढ़ का निर्माण (i) (₹ 1.86 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure under Other Charges for providing the food grains to Below Poverty Line families (₹ 10.80 crore).
- (b) meeting expenditure under Other Charges for clearing the pending liability of Punjab Police for deployment of forces for security duty of Banks (₹ 10.00 crore).
- (c) providing Grants-in-aid-General to Chandigarh Institute of Hotel

 Management and Catering Technology, Chandigarh

 (₹ 2.00 crore).
- d) payment of compensation to land owners for the land acquired for Soil and Moisture Conservation by the forest department (₹ 34.50 crore).
 - (i) completing the ongoing construction work of Government Medical College and Hospital, Chandigarh (₹ 4.54 crore).
 - (ii) completing the ongoing construction work of Government Multi Specialty Hospital, Chandigarh (₹ 2.29 crore).
 - completing the ongoing construction work of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh (₹ 10.50 crore).
- (g) completing the ongoing construction work in respect of various Primary Schools in Chandigarh ($\stackrel{?}{\sim}$ 0.69 crore).
- (h) providing funds to Central Crafts Institute and Industrial Training Institute (₹ 0.19 crore).
 - construction of pedestrian bridges and Tourist Reception Centre, Chandigarh (₹ 1.86 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				<i>(</i> करोड़ रुपये <i>Rup</i>	ees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	e Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charg	ed: 38.4	8 22.40	60.88
	स्वीकृत:	Vote	ed: 1321.7	2 6346.82	7668.54
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमानः		now required:			
	स्वीकृत:	Vote	ed: 0.0	1	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1360.2	1 6369.22	7729.43
	भारित:	Charg	ed: 38.4	8 22.40	60.88
	स्वीकृत:	Vote	ed: 1321.7	3 6346.82	7668.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिग	खाया जायेगा <u>ः</u>	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	der the follov	ving Major Head:	
			आयोजन	॥ आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas Vote	ed: 0.0	1	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) सीवरेज सिस्टम विकास/सुधार हेतु (₹ 2.00 करोड़) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का वर्धन।
- (ii) शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (₹ 2.00 करोड़)के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का वर्धन।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

- (i) augmenting Grants for Creation of Capital Assets for "Development/Improvement of Sewerage System" (₹ 2.00 crore).
- (ii) augmenting Grants for Creation of Capital Assets for "Urban Infrastructure Development Project" (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिये)

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Voted	1371.55	541.87	1913.42
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमानः		now required:			
	स्वीकृत:	Voted		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1372.55	542.88	1915.43
	भारित:	Charged	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:	Voted	1371.55	541.88	1913.43
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following	Major Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works Voted		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सभा के प्रमुख कार्य (₹ 1 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

major works of Rajya Sabha (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1937.30	126.30	2063.60
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1937.31	130.30	2067.61
	भारित:		Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1937.31	126.30	2063.61
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following I	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन के अंतर्गत 2006 से पहले के मामलों के संशोधन हेतु नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यय को पूरा करना (₹ 0.018) करोड़, चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतएव सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for payment of remuneration to consultants appointed for revision of pre-2006 cases under Central Water & Power Research Station(₹ 0.018 crore). As savings are available in the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						(करोड़ रुपर	t Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	18584.00				18584.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		•••		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		18584.02				18584.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्ला	खेत मुख्य र्श	ोर्ष के अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be a	ccounted for	under the fo	llowing N	Лаjor Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
कल्याण								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) 'महिला स्थिति' पर नवगठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों के वेतन तथा भन्तों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 6.25 करोड़)।
 - (ii) 'राष्ट्रीय महिला सशिक्तकरण मिशन' की स्थिति के अन्तर्गत प्रतिबंध दायित्वों हेतु अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करना (₹ 7.35 करोड़)।
 - (iii) (1) पूंजीगत पिरसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 'कामगार महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण हेतु' (₹ 20.00 करोड़) तथा जसोला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन निर्माण हेतु (₹ 1.27 करोड़)।
 - (2) वेतन अनुदान सहायताः केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹ 1.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) (i) वेतन सहायता अनुदान: 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.55 करोड़)।
 - (ii) सामान्य अनुदान सहायताः 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.19 करोड़)।
 - (iii) वेतन सहायता अनुदान: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।
 - (iv) वेतन सहायता अनुदानः 'राष्ट्रीय लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान' (एन.आई.पी.सी.सी.डी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 0.87 करोड़)।
 - (v) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीइन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) विधेयक (₹ 2.00 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) To meet the additional requirement for salary and allowances of the Members of newly constituted High Level Committee on 'Status of Women' (₹ 6.25 crore).
 - (ii) To meet the additional requirement for committed liabilities under the scheme of 'National Mission for Empowerment of Women' (₹ 7.35 crore).
 - (iii) (1) Grants for creation of capital assets: For construction of 'Hostels of Working Women' (₹ 20.00 crore) and for construction of office building of National Commission for Women at Jasola, New Delhi (₹ 1.27 crore).
 - (2) Grants-in-aid-Salaries: For Central Social Welfare Board (₹ 1.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of 'National Commission for Women' (₹ 0.55 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General: To meet the additional requirement of 'National Commission for Women' (₹ 0.19 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 2.00 crore).
 - (iv) Grants-in-aid-Salaries: To meet the additional requirement of 'National Institute of Public Co-operation and Child Development' (NIPCCD) (₹ 0.87 crore).
 - (v) To meet the additional requirement for implementation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Bill (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2012-2013)

						<i>(</i> करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1150.70		1.30		1152.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1150.73		1.30		1152.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	न मुख्य शीष	र्भों के अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for a	under the fo	llowing M	/lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:			0.01	(गc)	0.01
सहायता		Governments						
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) विकलांगों के में खेलों के प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत सामान्य-सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़)
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़)
- (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के अतंर्गत राज्य सम्पर्क अधिकारियों को वेतन-सहायता अनुदान (Rs 1.00 करोड़) अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, पूरक सांकेतिक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (i) Grants-in-aid-General under the scheme promotion of Sports amongst disable (₹ 2.00 crore)
 - (ii) Grants-in-aid-Salaries to regional centres under National Service Scheme (₹ 0.40 crore)
- (b) Grants-in-aid-Salaries to Regional Centres under National Service Scheme (₹ 0.10 crore)
- (c) Grants-in-aid-Salaries to State Liaison Officers under 'National Service Scheme' (₹ 1.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमे से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2011-12.

whi	chever is more during 2011-	-12.	(करोड़ रुपए Ru	pees in Crore	
_				•	
頭. :	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
सं. Sl.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/		2011-2012 Budget	Amount of	टिप्पाणया Remarks
No.		Scheme	Estimates	Re-appro-	Remarks
	1		2011-2012	priation	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मंत्रालय	2401-फसल कार्य			
	Ministry of	109- विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण			दावों की प्रतिपूर्ति
	Agriculture	25- कृषि विस्तार को मास मीडिया			
		समर्थन			
		250026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		2401-Crop Husbandry			
		109- Extension & Farmers' Training	g 30.28	17.07	Reimbursement of claims.
		25- Mass Media support to			
		Agricultural Extension			
		250026-Advertising & Publicity			
		800- अन्य व्यय			प्रचार-प्रसार अभियान चलाने हेत्
		35- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			- 3
		350026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		800- Other Expenditure	1.00	49.00	For undertaking publicity
		35- Rashtriya Krishi Vikas Yojna	1.00	47.00	campaign.
		350026-Advertising & Publicity			1 6
		مرود سیک به مای			एन ई एस के लिए और अधिक जरूरत
		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 240- फसल कार्य-विस्तार तथा			एन इ एस के लिए और आवक जरूरत
		किसान प्रशिक्षण			
		03- कृषि विस्तार को मास मीडिया का			
		समर्थन			
		030026-विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार			
		2552-North Eastern Areas			
		240- Crop Husbandry-Extension	4.0092	13.7708	More requirement for NES
		& Farmers' Training			•
		03- Mass Media support to			
		Agricultural Extension			
		030026-Advertising & Publicity			
		241- फसल कार्य-कृषि आर्थिकी एवं			एन ई एस के लिए निधियां जारी करने हेतु
		आंकडा			
		02- कृषि आंकडा संबंधी सुधार			
		020031-सामान्य सहायता अनुदान			
		241- Crop Husbandry-Agricultural	0.00	7.00	For release of funds for NES
		Economics & Statistics			
		02- Improvement of Agricultural			
		Statistics			

020031-Grants-in-aid General

	J	अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03- केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान 451- फसल कार्य-बीज 09- बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सदृढीकरण 090031-सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Government 03- Grants for Central Plan Scheme 451- Crop Husbandry-Seeds 09- Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds. 090031-Grants-in-aid	60.50	17.93	राज्यों से और अधिक प्रस्ताव More proposals from States	
2.	उर्वरक विभाग Department of Fertilisers	एम एच 2401- फसल देखभाल स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक हेतु उर्वरक बाण्ड बिक्री के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (रु. 5.49 करोड़) तथा आयातित विनियंत्रित उर्वरकों के लिए उर्वरक बाण्डों की बिक्री के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति (रु. 117.05 करोड़) MH 2401 - Crop Husbandry Compensation for loss on account of sale of fertilizer bonds for indigenous decontrolled fertilizers (Rs. 5.49 crore) and Compensation for loss on account of sale of fertilizer bonds for imported decontrolled fertilizers (Rs. 117.05 crore)		122.54	आंकड़ों के कम्पनीवार/बांड वार समाधा के पश्चात् दूसरी पूरक मांग के अन्तर्ग आबंटित निधियां पुनः वितरित कर दी ग है, जो इस शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिव आवंटन की स्थितियां सृजित करती है। After reconciliation of the company-wise/bond wise figure funds allocated under 2n Supplementary have been redistributed which makes additional allocation under this head.	
	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	एम.एच-2251 2251.00.090.07.03.28- व्यवसायिक सेवाएं MH-2251 2251.00.090.07.03.28- Professional Service	0.40	0.40	मंत्रालय में विभिन्न अनुभागों में नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान हेतु For payment to Consultant appointed in the various Section in the Ministry गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं वर्षग	
		विदेश यात्रा खर्चे 2251.00.090.07.03.12- Foreign Travel Expenses	0.50	0.25	के समारोह के अवसर पर विभिन्न देशों आयोजित प्रदर्शनी के सम्बंध में मंत्राल के प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे के लि For visiting abroad Ministry delegation in connection wi exhibitions held in various countries in the context celebration of 150th Anniversary Gurudev Rabindranath Tagore.	

	अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
2	3	4	5	6		
	एम.एच-2205 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 2205.00.102.03.04.31- सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 National School of Drama - 2205.00.102.03.04.31 Grants in-aid General	7.70	2.00	वेतन/भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आर् के भुगतान हेतु For payment of salary/allowance retirement benefits, pension etc.		
	एम.एच-2205 केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी 2205.00.102.03.05.31- सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.31- Grants in-aid General	7.60	2.24	इसके कर्मचारियों के वेतन, आदि के आव व्ययों को पूरा करने के लिए To meet the recurring expenditu towards payment of salary, etc its employees.		
	एम.एच-2205 जी.आर.एल मठवासी विद्यालय बोमडिला, अरूणाचल प्रदेश सामान्य सहायता अनुदान 2205.00.104.01.03.13 MH-2205 GRL Monastic School, Bomdila, Arunachal Pradesh- 2205.00.102.03.16.31 - Grants in-aid General	0.00	0.50	वेतन, दूरभाष, विद्युत बिलों तथा अ आकस्मिक खर्चों के आवर्ती व्ययों को ए करने हेतु To meet the recurring expenditu towards payment of Salar telephone, electricity bills and oth contingency expenses.		
	एम.एच-2205 सांस्कृतिक संसाधन एंव 2205.00.102.03.08.35- पूंजी प्रतिस्ठान केन्द्र, नई दिल्ली के सजृन के लिए अनुदान MH-2205 Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi 2205.00.102.03.08.35 - Grants for Creation of Capital Assets	0.20	0.30	क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में परियोजना के निम् हेतु। For building project at Region Centre at Hyderabad.		
	एम.एच-2205 कला में विख्यात व्यक्तियों को सहायता 2205.00.102.04.06.50 - अन्य प्रभार MH-2205 Assistance to Persons distinguished in arts - 2205.00.102.04.06.50- Other Charges	6.00	3.50	विज्ञान कलाकारों के लगभग 3000 लंजि आवेदनों के भुगतान हेतु । For making payments distinguished artists for about 30 pending applications.		
	एम.एच-2205 शताब्दी महोत्सव व वर्षगांठ 2205.00.102.04.12.20 अन्य प्रशासनिक खर्च			विचार गोष्ठी आयोजित करने तथा ने रमारक संग्रहालय द्वारा एक प्रर्दशनी त पुस्तकालय सांस्कृतिक मंत्रालय के दिर आधारित संस्थाओं समानरूप कार्यक्रमों निधियन के लिए।		

		·	करोड़ रुपए Rupe		e)
1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Centenaries and Anniversaries - 2205.00.102.04.12.20 - Other Administrative expenses	0.30	0.20	For organizing symposium and a exhibition by Nehru Memoria Museum and Library and funding organizations of Ministry of Culture
		एम.एच-2205 सांस्कृतिक संस्था योजना का विकास 2205.00.102.04.18.31 सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Development of Cultural organization scheme 2205.00.102.04.18.31 - Grants in aid General	4.85	3.00	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 2011-12 के अर्न्तग गतिविधियों को बढ़ाने की योजना के दौरा स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों व बढ़ी हुई संख्या के अतिरिक्त व्यय को पू करने हेतु। To meet the additional expenditur on increased number of proposal received from voluntar organizations under the schem during and towards enhancement of activities under North Easter Region 2011.12.
		एम.एच-2205 नव नालंदा महाविहार और ह्येन त्सांग मेमोरियल हॉल 2205.00.102.04.20.31 - सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 Nava Nalanda Mahavihara and Huen T Sang Memorial Hall 2205.00.102.04.20.31 - Grants in aid General	1.80	0.70	4 प्रोफेसर की भर्ती के कारण प्रतिबद्ध व्यक्ते पूरा करने हेतु To meet the committed expenditur due to recruitment of 4 Professors
		एम.एच2205 राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि 2205.00.102.04.38.31 सामान्य सहायता अनुदान MH-2205 National Cultural Fund - 2205.00.102.04.38.31 Grants-in-aid General	0.01	0.45	कार्यक्रम में सहभागियों के पाठ्यक्रम शुल् व्यय को पूरा करने हेतु(नेतृत्व, प्रशिक्षा (एल.टी.पी.) ब्रिटिश संग्रहालय के सा सहयोग में आयोजित होने के कारण)। For meeting expenditure course fe of participants in the programm (Leadership, training (LTP) bein organized in collaboration wi British Museum.
		एम.एच2205 भारतीय संस्कृति तथा धरोहर के बारे में प्रोत्साहन तथा जागरुकता का प्रसार 2205.00.102.04.53.31 सामान्य सहायता-अनुदान MH-2205 Promotion and Dissemination of Awareness about Indian Culture and Heritage- 2205.00.102.04.53.31	0.01	0.05	योजना के अर्न्तगत कर्मचारियों के घरेत दौरे के कारण On account of domestic tours by th officials under the Scheme.
		एम.एच2205 भारतीय साहित्य को विदेश में प्रोत्साहन की योजना 2205.00.102.04.64.11 घरेलु यात्रा व्यय			वस्तु शीर्ष "घरेलू यात्रा व्यय" के अन्तर्ग घरेलू यात्राओं के व्यय को पूरा करने हेत् वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू।

		नुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMI (करोड़ रुपए Rupe		
1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Scheme for Promotion of Indian Literature Abroad - 2205.00.102.04.64.11 - Domestic Travel Expenses	0.01	0.04	In order to meet the expenditure towards domestic tours under the object Head "Domestic Travel Expenses". Opened during the Financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.12 विदेश यात्रा व्यय	0.00	0.02	वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान चालू वस्तुशीर्ष "विदेश यात्रा व्यय" के अन्तर्गत विज्ञापन संबंधी गतिविधियों के लिए पुस्तक मेला के कारण यात्रा व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.12 - Foreign Travel Expenses	0.00	0.02	In order to meet the travel expenditure on account of book fairs for promotional activities under the object Head "Foreign Travel expenses" opened during the financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.16 प्रकाशन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "प्रकाशन" के अर्न्तगत अनुवाद, सम्पादन, भाषा विधीक्षा रचना, प्ररुपण, अधिकार, आदि सहित व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.16 - Publication	0.00	0.01	In order to meet expenditure included translation, editing, language vetting composing, formatting, rights, etc. under object Head "Publication" opened during the financial year 2011-12.
		2205.00.102.04.64.20 प्रशासनिक व्यय			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अर्न्तगत कार्यालय व्यय, सुझाव समिति बैठकों पुस्तकों का क्रय, उपकरण, आदि के व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.20- Other Administrative Expenses	0.00	0.01	In order to meet expenditure towards office expenses, advisory committee meetings, purchasing of books, equipments, etc. under the object Head "Other Administrative Expenses" opened during the financial year 2011-12
		2205.00.102.04.64.26 विज्ञापन तथा प्रचार			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्तु शीर्ष "विज्ञापन तथा प्रचार" के अन्तर्गत वेबसाइट का रूपांकन और प्रक्षेपण, प्रतीक चिन्ह, सूची तथा अन्य विज्ञापन-संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में व्यय को पूरा करने हेतु।
		2205.00.102.04.64.26 - Advertising and Publicity	0.00	0.02	In order to meet expenditure with respect to designing and launching of website, logo, catalogue and other promotional activities under the object Head "Advertising and Publicity" opened during the financial year 2011-12.

	अनु	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6			
		2205.00.102.04.64.28 व्यवसायिक व्यय			वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान चालू वस्त् शीर्ष "व्यवसायिक व्यय" के अन्तर्गत परियोजना परामर्शदाता, सहायक आदि के लिए वेतन भुगतान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु			
		2205.00.102.04.64.28 - Professional Expenses	0.00	0.06	In order to meet expenditure towards payment of salaries for Project Consultant, Assistant, etc under the object Head "Professiona Expenses" opened during the financial year 2011-12.			
		एम.एच2205 गुरूदेव रबिन्द्रनाथ टैगौर की 150वीं वर्षगांठ समारोह 2205.00.102.04.67.20 - कार्यालय प्रशासनिक व्यय			गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150 वीं वर्षगार समारोह से सम्बंधित कार्य के लिए विदेश मंत्रालय को निधि उपलब्ध कराने हेतु			
		MH-2205 Celebration of 150th Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore - 2205.00.102.04.67.20 - Office Administrative Expenses	0.02	2.50	To provide funds to Ministry of external Affairs for works related to Celebration of 150th Birth Anniversay of Gurudev Rabindranath Tagore.			
		एम.एच2205 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली 2205.00.102.06.02.06 - चिकित्सा व्यय			चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए			
		MH-2205 National Gallery of Modern Arts, New Delhi 2205.00.102.06.02.06 - Medical Expenses	0.01	0.06	For reimbursement of Medica Bills.			
		2205.00.102.06.02.12 - विदेश यात्रा व्यय			रिबन्द्रनाथ टैगौर की 150वीं जन्म वर्षगां के समारोह के संबंध में विदेश में टैगौ प्रदर्शनी आयोजित करना।			
		2205.00.102.06.02.12 - Foreign Travel Expenses	0.08	0.60	For holding Tagore Exhibition abroad in connection with Celebration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore.			
		2205.00.102.06.02.20 - अन्य प्रशा. व्यय			प्रदर्शनी आयोजित करने, एनडीएससी बिल का भुगतान आदि के कारण व्यय को पूर करने हेतु।			
		2205.00.102.06.02.20 - Other Admin. Expenses एम.एच2205 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	0.00	.00 1.00 To	To meet the Expenditure of account of holding exhibitions payment of NDMC Bills. etc.			
		2205.00.796.10.00.31 सामान्य सहायता अनुदान MH-2205	1.50	0.40	देशभर में जनजाति सांस्कृति गतिविधिय कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ करना। To undertake various Cultura			
		Zonal Culture Centers 2205.00.796.10.00.31 Grants-in-aid General	1.50	0.70	activities programmes schemes fo the development of Tribal Culture throughout the country.			

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
2	3	4	5	6			
	एम.एच2205 विश्व धरोहर निधि को अंशदान 2205.00.798.01.00.32 अंशदान - MH-2205 Contribution to World Heritage Fund 2205.00.798.01.00.32 - Contributions -	0.08	0.04	विश्व धरोहर समिति धरोहर निधि में भा का अंशदान करना। कुल 0.50 कर रुपये पुनर्विनियोजित किए गए, जिसमें 0.46 करोड़ रुपये पूरक अनुदान, 201 12 में प्रतिवेदित किए गए। To make India's contribution towards World Heritage Committ Heritage Fund. Total amount R 0.50 crore was re-appropriated, of which Rs. 0.46 crore w reported in 3rd Batch Supplementary Grant, 2011-12.			
	एम.एच2205 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.02.03.28 व्यवसायिक व्यय MH-2205 Archaelogical Survey of India 2205.00.106.02.03.28 - Professional Expenses-	20.00	4.35	सुरक्षा उपायों जैसे सी.आई.एस.एफ/सश् पुलिस/होम गार्ड, आदि तथा 2011-12 दौरान ए.एस.आई द्वारा विभिन्न संरिह्म रमारक/स्थान/संग्रहालय पर तैनात नि सुरक्षा गार्ड, आदि के बकाया वेतन बि के भुगतान हेतु। To clear pending bills of salari and other expenses on account security measues like addition development of CISF/Armo Police/Home Guard etc and priva security guards etc. posted various protected monuments/site museums by ASI during 2011-1			
	2205.00.106.01.03.16 प्रकाशन 2205.00.106.01.03.16 - Publication 2205.00.106.02.00.50	0.05	0.05	विश्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/संग्रहालय रमारकों में समान प्रवेश टिकट के विश् रुप के मुद्रण हेतु। For printing of specialty design common entry ticket f monuments of world Heritag			
	अन्य प्रभार 2205.00.106.02.00.50 - Other Charges	1.00	0.75	National Importance/Museums. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अर्न्तगत संर्रा स्मारकों के संदर्भ में धरोहर उपनियमों रचना हेतु। For Preparation of heritage by-la in respect of protected monumer under Archaeological Survery India.			
	एम.एच2205 राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता- 2205.00.105.01.02.06 चिकित्सा उपचार MH-2205 National Library, Kolkata 2205.00.105.01.02.06 - Medical Treatment	0.16	0.14	इसके कर्मचारियों के चिकित्सा व्ययों पूरा करने हेतु। For meeting medical expenses its employees.			
	एम.एच2205 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् 2205.00.107.10.00.35 पूंजी परिसम्पत्तियों के अनुदान सजृन हेतु			उच्च अंत उपकरणों की सरकारी ख तथा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोलकाता ताराघर के प्रमुख नवीनीकरण पर उ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।			

	अनुदानो	अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6			
1		MH-2205 National Council of Science Museum 2205.00.107.10.00.35 - Grants for creation of Capital Assests -	12.76	5.39	To meet the additional expenditure on procurement of high end equipments and major renovation of planetarium at Regional Science Centers, Kolkata.			
		एम.एच2252 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2252.00.437.01.00.31 - सामान्य सहायता - अनुदान MH-2252 National Archives of India 2252.00.437.01.00.31 - Grants-in-aid General	0.20	0.05	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना। For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.			
		एम.एच2252 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2252.00.439.01.01.27 लघु कार्य			उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना।			
		MH-2252 Archeology Survey of India 2252.00.439.01.01.27 - Minor Works	2.50	0.95	For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.			
		एम.एच2252 राष्ट्रीय विज्ञान समारक परिषद् 2252.00.440.07.00.31 सामान्य सहायता - अनुदान			उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना।			
		MH-2252 National Council of Science Museum 2252.00.440.07.00.31 - Grants-in-aid General	2.00	0.50	For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.			
		एम.एच2252 भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण 2252.00.441.01.00.13 - कार्यलय व्यय			उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम/ गतिविधियां प्रारंभ करना।			
		MH-2252 Anthropology Survey of India 2205.00.441.01.00.13 - Office Expenses	0.50	0.50	For undertaking more programme/ Activities in North East Areas.			
		एम.एच3601 स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म वर्षगाठ 3601.03.201.06.00.31 - सामान्य सहायता अनुदान			स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ के लिए राज्य सरकार को निधि उपलब्ध कराना।			
		MH-3601 150th Birth Anniversary of Swami Vivekanand 3601.03.201.06.00.31 - Grants-in-aid General	0.00	1.00	To provide funds to State Government for the Anniversary of Swami Vivekananda.			
		एम.एच3601 भारतीय राष्ट्रीय लेखागार 3601.03.201.02.00.31- सामान्य सहायता - अनुदान			"हस्तलिपि/दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना के अर्न्तगत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।			
		MH-3601 National Archives of India 3601.03.201.02.00.31 - Grants-in-aid General	0.40	1.18	To meet the additional expenditure under the scheme "Financial Assistance for Preservation of Manuscripts/ Rare Books."			

		(करोड़ रुपए Ru	pees in Cro	pre)
1 2	3	4	5	6
4. भारी उद्योग विभाग	एम.एच.2852.08.600.20.00.31 एचएसएल के कर्मचारियों को पेंशन देयताओं का भुगतान			एचएसएल के पेंशन-भोगियों की पेंशन देयताओं के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के व्यय के संदाय को पूरा करना।
	एम.एच.2852.80.008.22.00.31 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड			अधिकारक परिसमापक के लिए वेतन और प्रशासन व्यय
	एम.एच.2852.80.003.01.07.31 मोटर और सहायक उद्योग विकास परिषद को भुगतान			"एआरएआई-में गढ़ाई उद्योग पुणे" स्थापित करने के लिए" उसकी मौजूदा शोध और विकास परियोजना अर्थात जीपीएस आधारित इंटेलिजेंट स्पीड अडैप्टेशन सिस्टम के विनियामक पहलुओं तथा कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों का मूल्यांकन करने हेतु संदाय के लिए।"
				"उसके मौजूदा शोध और विकास परिजना अर्थात मोटरो में अग्रदीप की क्षति घटाने और सामने की दृश्यता बढ़ाने के तरीकों पर अन्वेषण हेतु संदाय के लिए।"
				"उसके मौजूदा शोध और अनुसंधान परियोजना अर्थात मोटर अनुप्रयोग के लिए अटकिंसन साइकिल इंजिन की बनावट और विकास हेतु संदाय के लिए।"
	एम.एच.6858.03.190.14.00.55 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को ऋण			स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
	एम.एच.6858.60.190.19.00.55 एचएमटी लिमिटेड को ऋण			एचएमटी लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय तथा उनको वीआरएस देने के कार्यान्वयन हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
	एम.एच.6858.60.190.09.00.55 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को ऋण			हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों और सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
	एम.एच.6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील प्रौडोक्ट लिमिटेड को ऋण			तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय तथा उनको वीआरएस देने के कार्यान्वयन हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
	एम.एच.6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड को ऋण			त्रिवेणी स्ट्राक्चर्स लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।
	एम.एच.6858.60.190.21.00.55			बीबीयूएनएल के कर्मचारियों के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋण और अग्रिम रकमें।

अनुव	(करोड़ रुपए Rupees in Cro			n Crore)	
2	3	4	5	6	
	एम.एच.6860.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण			नेपा लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाव वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधिक देय राशिव के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने के लिए ऋ और अग्रिम रकमें।	
	एम.एच.6860.05.190.02.00.55 हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड को ऋण			हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड के कर्मचारि के बकाया वेतनों/परिश्रमिकों, सांविधि देय राशियों के संदाय हेतु व्यय बढ़ाने लिए ऋण और अग्रिम रकमें।	
Department of Heavy Industry	M.H. 2852.08.600.20.00.31 Payment of Pension Liabilities to the Employees of HSL	1.00	2.12	To meet the expenditure payme of Pension Liabilities of pensione of HSL for the year 2009-10 at 2010-11.	
	M.H. 2852.80.008.22.00.31 National Industrial Development Corp. Ltd.	0.00	0.07	Salary for the official liquidator an administrative expenses.	
	M.H.2852.80.003.01.07.31 Payment to Development Council for Automobile & Allied Industries	0.00	4.76	"For setting In ARAI-Forging industries, Pune". "For Payment to their existing R&D project viz. To evaluate the regulatory aspects are implementation constraints of the GPS based intelligent Speck Adaptation (ISA) system". "For payment to their existing R&D project viz. Investigation of methods of reducing head light Glare and enhance forward visibility in Automotives". "For Payment to their existing R&D project viz. Design Development of Atkinson Cyclengine for Automotive Application".	
	M.H.6858.03.190.14.00.55 Loans to Scooters India Ltd.	0.00	8.08	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees Scooters India Ltd.	
	M.H.6858.60.190.19.00.55 Loans to HMT Ltd.	0.00	145.69	Loans & Advances to augment to expenditure towards payment outstanding salaries/wages, statuto dues and implementation of VF to the employees of HMT Ltd.	
	M.H.6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd.	0.00	95.38	Loans & Advances to augment to expenditure towards payment outstanding salaries/wage statutory dues and implementation of VRS to the employees Hindustan cables Ltd.	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
		M.H. 6858.60.190.25.00.55 Loans to Tungabhadra Steel Product Ltd.	0.00	2.49	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Tungabhadra Steel Product Ltd.	
		M.H. 6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd.	0.00	3.15	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Triveni Structurals Ltd.	
		M.H. 6858.60.190.21.00.55 Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	0.00	0.31	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of BBUNL.	
		M.H. 6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.50	27.96	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Nepa Ltd.	
		M.H.6860.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd.	0.50	8.81	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of Hindustan Paper Corporation Ltd.	
5. खान	न मंत्रालय	 भारत का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व विभाग क. निर्देशन एवं प्रशासन प्रशासनिक सहायता 			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की व्यवस्था करना	
		ख. प्रशिक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की व्यवस्था करना	
		ग. अनुसंधान एवं विकासप्रयोगशाला अनुसंधानघ. जांच			तदैव	
		भू-तकनीकी, सिस्मिक, पर्यावरण ङ. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण			तदैव तदैव	
		जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण च. खनिज अन्वेषण सस्ते खनिज			तदेव	
		छ. अन्य व्यय विभिन्न प्रचालनों पर विविध प्रमुख व्यय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी			तदैव	
		कुल राजस्व				
Min	nistry of Mines	I. Geological Survey of India Revenue Section				
		A. Direction & Administration Administrative Support	12.00	12.00	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	
		B. Training	0.15	0.15	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6	
		C. Research & Development Laboratory Research	0.40	0.40	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region	
		D. Investigation			and Sikkim.	
		Geo-tech, Seismic, Environment	0.30	0.30	do	
		E. Survey & Mapping Ground, Aerial &				
		Marine Survey	0.50	0.50	do	
		F. Mineral Exploration Economic Minerals	0.45	0.45	do	
		G. Other Expenditure Miscellaneous Major				
		Expenditure on different	0.65	0.65	1-	
		operations	0.65	0.65	do	
		Information & Technology	0.65	0.65	do	
		Total Revenue	15.10	15.10		
		पूंजी अनुभाग-जीएसआई अन्य व्यय			तदैव	
					(14d	
		पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण				
		कुल पूंजी अनुभाग - जीएसआई				
		Capital Section - GSI				
		Other Expenditure				
		Acquisition of Capital Assets	3.00	3.00	do	
		Total Capital Section - GSI	3.00	3.00		
		II. भारतीय खान ब्यूरो				
		राजस्व अनुभाग				
		क. स्थापना			तदैव	
		ख. प्रशिक्षण			तदैव	
		ग. सूचना एवं प्रौद्योगिकी			तदैव	
		कुल राजस्व				
		II. Indian Bureau of Mines Revenue Section				
		A. Establishment	1.45	1.45	do	
		B. Training	0.10	0.10	do	
		C. Information & Technology	0.10	0.10	do	
		Total Revenue	1.65	1.65		
		पूंजी अनुभाग				
		अन्य व्यय				
		पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कुल पूंजी अनुभाग -आईबीएम			तदेव	
		Capital Section				
		Other Expenditure				
		Acquisition of Capital Assets	0.55	0.55	do	
		Total Capital Section - IBM	0.55	0.55		

	· ·	(क	रोड़ रुपए Rupe	ees in Cror	e)
1	2	3	4	5	6
6.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 00.101 - ग्रिंड इंटरेक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्युएबल पावर 01-ग्रिंड इंटरेक्टिव रेन्युएबल पावर 02 - जल विद्युत 33 - सब्सिडी			(i) सब्सिडी को जारी करने के लिए व्यय की व्यवस्था करना ताकि निजी तथा राज्य सरकार की लघु जल विद्युत परियोजनाएं वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी हो सके। (ii) विगत में लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा मंजूर परियोजनाओं द्वारा मंजूर परियोजनाओं की देयताओं के परिसमापन हेतु।
	Ministry of New and Renewable Energy	2810- New and Renewable Energy 00.101-Grid Interactive and distributed renewable power 01 - Grid interactive renewable power 02 Hydro Power	69.00	3.50	(i) To meet expenses for release of subsidy to mature Private & State Govt. Small Hydro Power Projects during financial year 2011-12.
		33 - Subsidy		1.20	(ii) To liquidize liabilities for the projects sanctioned by Small Hydro Power Projects during the past.
		2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 00.101 - ग्रिड इंटरेक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्युएबल पावर 02-आफ-ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड एण्ड डिसेन्ट्रलाइज्ड रेन्युएबल पावर 04- सौर ऊर्जा 33 - सब्सिडी			पूंजीगत (कैपिटल) सब्सिडी की पूर्तिपूर्ति हेतु निधि जारी करने हेतु।
		2810- New and Renewable Energy 00.101-Grid Interactive and distributed renewable power 02- Off-grid/ distributed and deentralized renewable Power 04 - Solar Power 33 - Subsidy		2.50	For release of fund for reimbursement of capital subsidy.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूलबजट के 25% से अधिक अथवा 5 करोड़ रुपए, इनमे से जो भी अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded 25% of Original Budget or Rs.5 crore, whichever is more during 2012-13.

WIII	chever is more during 2012	-13.	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2012-2013 Budget Estimates 2012-2013	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks	
1	2	3	4	5	6	
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान 04-केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान (उप प्रमुख शीर्ष) 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (लघु शीर्ष) 09-अनूसूचित जाति का कल्याण-शिक्षा (उप शीर्ष) 01-मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना 09.01.31-सामान्य सहायता अनुदान			विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए	
	Ministry of Social Justice and Emplowerment	3602-Grants-in-aid to UT Govts. 04.Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor Head) 09-Welfare of Scheduled Castes-Education (Sub Head) 01-Post Matric Scholarship Schem 09.01.31-Grants-in-aid General	1.00 e	3.00	For providing Grants-in-aid to various UT Administrations.	
		3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 04-केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान (उप प्रमुख शीर्ष) 377-पिछड़ा वर्ग का कल्याण-शिक्षा (लघु शीर्ष) 03-मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (उप शीर्ष) 03.00.31 सामान्य-सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Scheme (Sub Major Head) 377-Welfare of Backward Classes-Education (Minor Head) 03-Post Matric Scholarship (Sub Head)	560.00	14.70	For releasing Grants-in-aid to State Governments located in NE Region & Sikkim.	

03.00.31-Grants-in-aid General